एडिटोरियल

(संग्रह)

मार्च भाग-1

2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **5**

- सहभागी बजट 5
- स्वच्छता और महिला नेतृत्त्व 6
- सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 8

आर्थिक घटनाक्रम **11**

- किसान उत्पादक संगठन 12
- ईरान परमाणु समझौते की बहाली 15

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम **15**

- नॉलेज डिप्लोमेसी 17
- भारत-बांग्लादेश: संबंध सुधार के नए अवसर 19

नोट :

दृष्टि The Vision

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 22

- बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों का विनियमन 22
- साइबर सुरक्षा सिद्धांत 23

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण 26

- जलवायु परिवर्तन और हिमनदों का क्षरण 26
- भारत में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा 29

सामाजिक न्याय 29

- भारतीय महिलाएँ और श्रम-बल 31

दृष्टि The Vision

नोट :

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

सहभागी बजट

संदर्भः

प्रत्येक सरकारी प्रणाली में बजट आवंटन किसी भी कार्य को पूरा करने की दिशा में पहला कदम है। केंद्र और विभिन्न राज्यों की सरकारें प्रतिवर्ष अपना बजट पारित करती हैं, परंतु जो बजट हमारे लिये सबसे ज़्यादा मायने रखता है, वह है शहर या नगर पालिका का बजट।

वास्तव में केंद्र और राज्यों के बजट में शहरों के लिये अधिकांश आवंटन नगर पालिकाओं के बजट में चला जाता है, क्योंकि नगर पालिकाएँ ही सरकार की अधिकांश योजनाओं को लागू करती हैं।

इसके अतिरिक्त विश्व भर में इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं कि बजट बनाने की प्रक्रिया में तथा सार्वजनिक कार्यों की निगरानी में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के चलते बेहतर परिणामों के साथ-साथ लापरवाही तथा भ्रष्टाचार के मामलों में गिरावट देखने को मिलती है।

इसे देखते हुए भारत में सहभागी बजट तंत्र को मज़बूत करने की आवश्यकता है।

क्या है सहभागी बजट ?

- सहकारी या पार्टिसिपेटरी बजट की अवधारणा सर्वप्रथम ब्राज़ील के शहर पोर्टो एलेग्रे में वर्ष 1980 के दशक के मध्य में प्रस्तुत की गई थी। वर्तमान में यह किसी-न-किसी रूप में विश्व के हज़ारों शहरों में प्रचलित है।
- यह अवधारणा सुनिश्चित करती है कि स्थानीय समुदायों की विविध आवश्यकताओं और अनुभवों को समझा जाए तथा स्थानीय निर्णय लेने में अधिक-से-अधिक लोगों के मतों को सुना जाए।
- पार्टिसिपेटरी बजटिंग (PB) में स्थानीय समुदायों और उनकी सेवा करने वाले सार्वजनिक संस्थानों के बीच संबंधों को बदलने की महत्त्वपूर्ण क्षमता होती है।
- भारत में सहभागी बजट का नेतृत्व वर्ष 2001 में बंगलूरू में 'जनाग्रह' (एक गैर-लाभकारी संस्था) द्वारा किया गया था, परंतु पुणे में यह और मज़बूती से लागू हुआ जहाँ बंगलूरू के अनुभव से प्रेरणा ली गई और इसे एक अधिक प्रतिबद्ध नेतृत्व प्राप्त हुआ।
- वर्तमान में लगभग 4,500 से अधिक नगर पालिकाएँ, जिनमें 300 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं प्रतिवर्ष बजट सत्र के दौरान अपना बजट प्रस्तुत करती हैं।

सहभागी बजट के लाभः

- शासन तक पहुँचः सहभागी बजट लोगों को यह महसूस कराता है कि सार्वजनिक प्रशासन में उनकी भागीदारी है और इस प्रकार यह जनता तथा सरकार के बीच विश्वास को मज़बूत करता है।
  - इसके माध्यम से बच्चे, महिलाएँ, वरिष्ठ नागरिक और अन्य समूहों के लोग प्रशासन के समक्ष तर्कों और अपेक्षाओं के साथ अपने मामले को रखने में सक्षम होंगे तथा उन्हें पूरा भी कर सकेंगे।
  - यह बजट के साथ-साथ समस्या-समाधान पर लक्षित, हाइपरलोकल फोकस की सुविधा प्रदान करता है।
- सामुदायिक स्वामित्वः यह सार्वजनिक संपत्तियों और सुविधाओं के मामले में समुदायों में स्वामित्व को अधिक से अधिक बढ़ावा देगा, जिससे उनका बेहतर संरक्षण तथा रखरखाव सुनिश्चित होगा।
  - स्थानीय स्तर पर यह समुदायों, निर्वाचित पार्षदों और शहर प्रशासन सभी के लिये एक सकारात्मक बदलाव होगा।
  - यह नागरिक आवश्यकताओं के सापेक्ष सार्वजनिक कार्यों की गलत प्राथमिकता के कारण उत्पन्न अक्षमताओं को संबोधित करता है।
- निष्पक्षता को बढ़ावाः समुदायों के साथ सक्रिय भागीदारी समानता बढ़ाने और असमानताओं को दूर करने के लिये निर्णय लेने तथा सार्वजनिक संसाधनों के आवंटन की सहभागी प्रक्रिया का अभिन्न अंग है।

नोट :

- अंत में यह सुदूर हिस्सों में (आखिरी मील तक) सार्वजनिक कार्यों के प्रति जवाबदेही में सुधार करता है (क्योंकि इसके तहत नागरिक बजट निष्पादन की निगरानी करेंगे)।

- सरकार और लोगों के बीच विश्वास में वृद्धि: नागरिक बजट के तहत जारी निधियों का उपयोग करने के लिये वार्ड-स्तर के इंजीनियरों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं ताकि उनके द्वारा सार्वजनिक जन सुविधाओं (जैसे- स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करना, फुटपाथों को चलने योग्य बनाना, पार्कों का सौंदर्यीकरण, हर शहरी गरीब बस्ती में एक नया शिशु देखभाल केंद्र या सार्वजनिक शौचालय बनाना) को सुधारने पर ध्यान दिया जा सके।
  - यह लोगों के जीवन को बदल देगा और नागरिकों तथा सरकारों के बीच विश्वास को मज़बूत करने में सहायक होगा।

आगे की राह:

- नागरिक भागीदारी को बढ़ाना: एक सामान्य नागरिक के लिये बजट दस्तावेज़ को स्वयं पढ़ना और उसे समझना आसान नहीं है। वर्तमान में अधिकांश नगर पालिका कानून बजट में नागरिक भागीदारी या सार्वजनिक कार्यों और निविदाओं में पारदर्शिता की सुविधा नहीं प्रदान करते हैं।
  - अत: गली, मोहल्ले और वार्ड स्तर पर वास्तव में परिवर्तन लाने के लिये इन बजटों पर नागरिक और मीडिया की अधिक-से-अधिक भागीदारी सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है।
  - यह शहरों में ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने और समुदायों विशेषकर बच्चों, महिलाओं तथा शहरी गरीबों के जीवन में परिवर्तन का एक कारक बन सकता है।
- मेरा शहर मेरा बजट अभियान का अनुकरण: इस अभियान की शुरुआत पहली बार वर्ष 2015 में की गई थी और बंगलूरू, मंगलुरु तथा विशाखापत्तनम जैसे शहरों में यह नगर निगमों, क्षेत्रीय समुदायों और जनाग्रह के बीच एक सहयोगी प्रयास के रूप में प्रगति कर रहा है।
  - इन शहरों में लगभग 80,000 से अधिक नागरिकों से सार्वजनिक शौचालय, फुटपाथ, कूड़े के ढेर, सड़कें और नालियों जैसे व्यापक मुद्दों यथा- सार्वजनिक मुद्दों पर 85,000 से अधिक बजट इनपुट प्राप्त किये गए हैं ।
  - लोगों से प्राप्त किये गए इन इनपुटों की समीक्षा की जाएगी और इन्हें शहर के बजट में शामिल किया जाएगा।

निष्कर्ष:

हालाँकि प्रतिवर्ष केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बजट बहुत आशाजनक दिखाई देते हैं। परंतु उन्हें यह सुनिश्चित करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि इन योजनाओं और निधियों से नागरिक हितों से संबंधित अपेक्षित परिणाम प्राप्त हों। सहभागी बजट इस चुनौती से निपटने में सहायक हो सकता है।

हालाँकि सहभागी बजट में समानता के विधान की ज़रूरतों को प्रभावी रूप से एकीकृत करने के लिये संस्थागत भागीदारी के साथ इस क्षेत्र में विश्लेषणों को बढ़ावा देने की आवश्यकता होगी।

स्वच्छता और महिला नेतृत्त्व

संदर्भ:

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के तहत शामिल लक्ष्य 6.2 को प्राप्त करने हेतु भारत को वर्ष 2030 तक महिलाओं, लड़कियों तथा समाज के सुभेद्य वर्ग की ज़रूरतों पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी के लिये स्वच्छता एवं सफाई तक पर्याप्त एवं समान पहुँच सुनिश्चित करने के साथ खुले में शौच की कुप्रथा को भी समाप्त करना होगा।

इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (SBM) की शुरुआत की गई है, जिसके तहत जल और स्वच्छता के बुनियादी ढाँचे की स्थापना के साथ-साथ भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने की परिकल्पना की गई है।

हालाँकि SBM स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में सुधार हेतु एक जन आंदोलन है, फिर भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें लड़कियों तथा महिलाओं को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहाँ स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच आसान नहीं है और यहाँ तक कि यह असुरक्षित भी है।

चूँकि अन्य सामाजिक मुद्दों की तरह ही लैंगिक पहलू स्वच्छता और सफाई का भी एक महत्त्वपूर्ण घटक है, इसलिये इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैसे-जैसे स्वच्छता, स्वास्थ्य और सफाई का यह जन आंदोलन गति पकड़ेगा महिलाएँ इस क्षेत्र में व्यापक तथा स्थायी परिवर्तन लाने में सहायता कर सकती हैं।

स्वच्छता और लैंगिक मुद्दों से जुड़ी चुनौतियाँ:

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की 50% से अधिक आबादी शौच के लिये खुले में जाती है जबकि एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार 60% ग्रामीण घरों और 89% शहरी घरों में शौचालय की मौजूदगी है।

- निर्णय प्रक्रिया में सीमित भूमिका: वास्तविकता में स्वच्छता से जुड़ी योजनाओं के प्रवर्तक शायद ही कभी महिलाओं को जल और स्वच्छता समितियों में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करते हैं, जो उनकी भागीदारी की गारंटी नहीं देता है।
    - इसके अतिरिक्त उम्र, परिवार में स्थिति और सामाजिक तथा सांस्कृतिक बाधाएँ भी कुछ ऐसे कारक हैं जो स्वच्छता संबंधी निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को निर्धारित करते हैं।
- लिंग आधारित स्वच्छता असुरक्षा: स्वच्छता सुविधाओं कमी या अनुपलब्धता का भार पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के लिये असमान रूप से अधिक होता है, जिसे "लिंग आधारित स्वच्छता असुरक्षा" भी कहा जा सकता है।
    - पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं के लिये अपने दैनिक जीवन में गोपनीयता का महत्त्व अधिक होता है।
    - ऐसे में उचित स्वच्छता सुविधाओं की अनुपलब्धता महिलाओं के लिये एक असहाय स्थिति पैदा करती है और यह उनमें विभिन्न रोगों के जोखिम को बढ़ावा देती है।
- खुले में शौच से जुड़े जोखिम: खुले में शौच हेतु जाते समय महिलाएँ असुरक्षित महसूस करती हैं और कई मामलों में उन्हें अपने जीवन के लिये खतरे का सामना करना पड़ता है।
    - इससे जुड़े जोखिमों में शाम होने के बाद या सुबह ही अँधेरे में बाहर जाते समय असुरक्षित महसूस करना; और सुरक्षित एवं पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में मासिक धर्म की शुरुआत के साथ ही लड़कियों का स्कूल छोड़ना आदि शामिल है।

आगे की राह:

- व्यवहार परिवर्तन सुनिश्चित करना: आम जनता के व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित सूचना, शिक्षा और संचार प्रबंधन स्वच्छता मिशन 2.0 की सफलता की कुंजी है।
    - स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत स्थायी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अपशिष्ट जल के सुरक्षित निपटान तथा पुन: उपयोग के नए एजेंडों को शुरू करने के साथ सतत् व्यवहार परिवर्तन की बात भी कही गई है।
    - एक सक्रिय एसबीएम संदेश जो प्रमुख परिवर्तनों को दर्शाता है, महिला समूहों के अनुभवों एवं सफलता को प्रचारित तथा लोकप्रिय बनाने का प्रयास करता है। इस प्रकार का सक्रिय संदेश वर्तमान में सामाजिक जागरूकता में वृद्धि करने में सहायक होगा और यह महिलाओं को स्वच्छता संबंधी पहलों का पूर्ण नियंत्रण लेने के लिये प्रेरित करेगा।

सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन लाने वाले मामलों से जुड़े अध्ययन:

- स्वच्छता के क्षेत्र में महिला नेतृत्त्व के साहसी उदाहरण: छत्तीसगढ़ की एक दिव्यांग पंचायत प्रमुख उत्तरा ठाकुर अपने गाँव में स्वच्छता सेवाओं को बेहतर बनाने के लिये प्रतिबद्ध थी।
    - उन्होंने घर-घर जाकर लोगों को शौचालय के उपयोग हेतु प्रेरित किया। उनकी इस प्रतिबद्धता ने पूरे गाँव को इस मुहिम में उनके साथ खड़े होने और अपने गाँव को खुले में शौच से मुक्त बनने के लिये प्रेरित किया।
- झारखंड में प्रशिक्षित महिला राजमिस्त्रियों ने एक वर्ष में 15 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया और राज्य को खुले में शौच से मुक्त (ग्रामीण) बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता की।
- सरकार के अलावा गैर-सरकारी नेतृत्त्व जैसे बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूनिसेफ जैसी संस्थाओं तथा कई अन्य गैर-सरकारी संगठनों ने भी इस संबंध में विविध प्रयास किये हैं जिनकी सराहना की जानी चाहिये।
- सरकार ने भी बहुत ही प्रभावी ढंग से 8 लाख से अधिक स्वच्छाग्रहियों (मुख्य रूप से महिलाएँ) का उपयोग किया है, जो छोटे मानदेय के बदले सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं।
- स्वच्छता और सफाई को आजीविका से जोड़ना: फिक्की द्वारा शुरू किये गए 'इंडिया सैनिटेशन कोअलिशन' ने महिलाओं द्वारा स्वच्छता आवश्यकताओं के लिये संचालित स्व-सहायता समूहों को सूक्ष्म-वित्त सुविधाओं से जोड़ने में सहायता की है।

- ◆ जल, स्वच्छता और सफाई या वाश (Water, Sanitation, and Hygiene- WASH) कार्यक्रमों के साथ आय और कल्याण प्रभावों में वृद्धि करने हेतु लक्षित समूहों के साथ इस तरह के हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- लिंग आधारित परिणामों की निगरानी: SBM में लिंग आधारित परिणामों को ट्रैक करने और मापने के लिये एक राष्ट्रीय निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली को स्थापित करना बहुत ही आवश्यक है।
  - ◆ इस क्षेत्र से जुड़े कई शोधकर्त्ताओं ने विकास से जुड़ी प्रथाओं में लिंग आधारित विश्लेषण ढाँचे के एक लंबे इतिहास को रेखांकित किया है।
  - ◆ हम कार्यक्रमों की प्रभावी परिकल्पना, कार्यान्वयन और उनकी निगरानी को समर्थन प्रदान करने के लिये ऐसी रूपरेखाओं से सीख प्राप्त सकते हैं, जो स्वच्छता में लैंगिक समानता के अंतर को समाप्त/दूर करने में सहायक हों।
  - ◆ वर्तमान में हस्तक्षेप के दोनों पक्षों (आपूर्ति और मांग) पर लैंगिक लक्ष्यीकरण के लिये हितधारकों में क्षमता निर्माण हेतु प्रभावी संचार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

वर्तमान में बालिकाओं की उत्तरजीविता एवं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु स्वच्छता और पोषण से समर्थित अच्छे स्वास्थ्य एवं पेयजल प्रबंधन से जुड़े सुनियोजित दृष्टिकोण अपनाने के अलावा कोई त्वरित समाधान नहीं हैं। ऐसे प्रयास न केवल महिलाओं को जल-प्रबंधन के लिये उठाई जाने वाली कठिनाइयों से मुक्ति दिलाने व उनके शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों को सुनिश्चित करने में सहायक होंगे बल्कि ये आगामी पीढ़ी के विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021

संदर्भ

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थाओं हेतु दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है। ये नियम व्यापक तौर पर सोशल मीडिया, ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफॉर्मों और डिजिटल समाचार के नियमन से संबंधित हैं।

इन नियमों का प्राथमिक उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैसेजिंग एप्लीकेशन, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और डिजिटल समाचार प्रकाशकों के लिये एक कानून अनुपालन एवं शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना है।

सरकार का लक्ष्य इन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से समाज में नफरत फैलाने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा पैदा करने वाले लोगों को नियंत्रित करना है। हालाँकि आलोचकों का मानना है कि डिजिटल मीडिया के सख्त विनियमन के माध्यम से सरकार द्वारा स्वतंत्र अभिव्यक्ति को सीमित करने और लोकतंत्र को कमतर करने का प्रयास किया जा रहा है।

डिजिटल मीडिया विनियमन की आवश्यकता

- घरेलू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना: भारत में कार्यरत अधिकांश डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म मूलत: विदेश से हैं।
  - ◆ ये नियम इन सोशल मीडिया मध्यस्थों और ऑनलाइन कंटेंट प्रदाताओं (मनोरंजन अथवा सूचनात्मक दोनों) द्वारा भारतीय संविधान एवं देश के घरेलू कानूनों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता पर ज़ोर देते है।
- जवाबदेही का निर्धारण: ये नियम सोशल मीडिया उपयोगकर्त्ताओं द्वारा प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग और दुरुपयोग के विरुद्ध जवाबदेही की भावना उत्पन्न करने पर भी ज़ोर देते हैं, साथ ही यह नियम सोशल मीडिया उपयोगकर्त्ताओं को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के नियामक ढाँचे के तहत लाने वाला अपनी तरह का पहला नियम है।
- एकरूपता लाना: भारत में गैर-कानूनी और नफरत फैलाने वाले कंटेंट से निपटने के लिये कई कानून पहले से ही लागू हैं। इन नियमों का लक्ष्य सभी कानूनों के बीच एकरूपता स्थापित करना है।
- सामाजिक अनिवार्यता: ये नियम सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले यौन अपराधों के विरुद्ध महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने पर विशेष बल देते हैं। इन नियमों में फेक न्यूज़ की समस्या का मुकाबला करने और अभद्र भाषा के प्रसार की जाँच करने की भी परिकल्पना की गई है।

नियमों से संबद्ध मुद्दे

- स्व-नियमन की धारणा का विकृत स्वरूप: नियमों के तहत डिजिटल समाचार एवं करंट अफेयर्स प्रकाशकों के साथ-साथ वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाताओं के शिकायत निवारण हेतु एक त्रिस्तरीय संरचना प्रदान की गई है।
  - इस त्रिस्तरीय संरचना में सरकारी अधिकारियों की एक अंतर-मंत्रालयी समिति की अपीलीय प्राधिकरण के रूप में अभिकल्पना की गई है।
  - इस तरह इन नियमों के माध्यम से मीडिया संगठन और उद्योगों द्वारा स्व-नियमन की व्यवस्था में सरकार की भूमिका को अनिवार्य बना दिया गया है।

त्रिस्तरीय निवारण तंत्र

- अधिसूचित नियमों के तहत एक विस्तृत एवं समयबद्ध त्रिस्तरीय प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसके तहत प्रत्येक शिकायत को:
  - सर्वप्रथम पोर्टल और प्लेटफॉर्म द्वारा स्वयं के स्तर पर अपने शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा निपटाने का प्रयास किया जाएगा।
  - यदि पहले स्तर पर शिकायत निपटान संभव नहीं हो पाता है तो शिकायत को उद्योग के स्व-नियामक निकाय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
  - यदि दूसरे स्तर पर शिकायत का संतोषजनक निपटान संभव नहीं हो पाता है तो शिकायत को केंद्र सरकार की एक अंतर-मंत्रालयी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- अनुपालन का बोझ: कई आलोचकों का मत है कि शिकायत निपटान से संबंधित इतनी जटिल और लंबी प्रक्रिया डिजिटल समाचार और करेंट अफेयर्स उद्योग के अपेक्षाकृत छोटे डिजिटल उपक्रम के संचालन को बाधित कर सकती है।
  - इसके अतिरिक्त इस तरह के उपाय पहले से ही आर्थिक और कार्यात्मक पहलुओं पर चुनौतियों का सामना कर रहे डिजिटल समाचार मीडिया उद्योग के समक्ष आजीविका की चुनौती उत्पन्न कर सकते हैं।
- संभावित दुरुपयोग: डिजिटल प्रकाशकों पर अनुपालन बोझ अधिरोपित करने के अलावा ये नियम डिजिटल समाचार कंपनियों में सरकार के हस्तक्षेपों हेतु एक नया उपकरण प्रस्तुत करते हैं।
  - सत्तारूढ़ दल अथवा सरकार की कोई भी आलोचना उसके समर्थकों द्वारा शिकायतों की बाढ़ ला सकती है, जिससे दोनों मीडिया संस्थाओं के समक्ष संचालन की चुनौती उत्पन्न हो सकती है।
  - यह व्यवस्था राजनीतिक और धार्मिक बहुसंख्यकवाद के मौजूदा माहौल में काफी चिंताजनक हो सकती है।
- विवेकाधीन शक्तियाँ: यह अधिसूचना सरकार की नज़रों में संदिग्ध अथवा संदेहास्पद किसी भी ऑनलाइन कंटेंट को बिना आवश्यक प्रक्रिया का पालन किये अवरुद्ध करने अथवा प्रतिबंधित करने के लिये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान करती है।
  - इसके अलावा प्रकाशित न होने वाले कंटेंट की एक नकारात्मक सूची की व्यवस्था को कानून के तहत स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर युक्तियुक्त निर्बंधन के रूप में देखा जाएगा।
- लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमज़ोर करना: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (A) में प्रेस एवं मीडिया की स्वतंत्रता को परोक्ष रूप से मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान का यह अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
  - इन स्वतंत्रताओं को भारतीय लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी प्रेस एवं मीडिया के लिये आवश्यक एवं निर्णायक माना जाता है।
  - चूँकि सरकार की उपस्थिति का वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिये ये नियम नियंत्रण और संतुलन की विशिष्ट प्रणाली (मीडिया और अन्य तीन स्तंभों यथा- विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका) को कमज़ोर करते हैं।
- प्रथम प्रवर्तक की पहचान करने की चुनौती: ये नियम व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे मैसेजिंग एप्स के लिये समस्या उत्पन्न करने वाले संदेशों के प्रवर्तकों की खोज करना अनिवार्य बनाते हैं।
  - हालाँकि इस संबंध में एक स्वाभाविक प्रश्न यह उठता है कि ये मैसेजिंग एप्स सरकार के इन नियमों का पालन किस तरह करेंगे, क्योंकि इनमें से अधिकांश एप संदेश हस्तांतरण के लिये एंड-टू-एंड एन्क्रिप्ट का दावा करते हैं।

नोट :

आगे की राह

- हितधारकों के साथ विचार-विमर्श: एक श्वेत-पत्र के प्रकाशन के माध्यम से इन नियमों को लेकर की जा रही आलोचना का हल खोजने हेतु सभी हितधारकों के साथ नए सिरे से विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
  - इस श्वेत-पत्र में स्पष्ट रूप से ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के विनियमन के माध्यम से संबोधित की जाने वाली चुनौतियों और सार्थक जन परामर्श, जो केवल उद्योग तक सीमित न हो, को रेखांकित करना चाहिये।
- सांविधिक समर्थन: हितधारकों से वार्ता के बावजूद यदि नियमों को लागू करना आवश्यक माना जाता है तो इसे कानून के माध्यम से संसद में व्यापक विचार-विमर्श के बाद लागू किया जाना चाहिये, न कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A के तहत प्रदान की गईं कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए।
- डेटा सुरक्षा कानून: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सूचना साझा करने के लिये मजबूर करना आम नागरिकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है, क्योंकि नागरिकों के पास किसी भी डेटा गोपनीयता कानून और उससे संबंधित जागरूकता का अभाव है।
  - इस संदर्भ में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 को तीव्रता के साथ पारित करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

उदार लोकतंत्र में विनियमन का एक महत्त्वपूर्ण और विशिष्ट स्थान होता है। हालाँकि ऐसे परिवेश और समाज में, जहाँ लोग कंटेंट के प्रति संवेदनशील हों, अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप के साथ एक मज़बूत नियामक तंत्र डिजिटल मीडिया उद्योग के परिचालन में बाधा उत्पन्न करेगा और रचनात्मकता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। ऐसे में आवश्यक है कि विनियमन की आवश्यक और गोपनीयता के पहलू को ध्यान में रखते हुए संतुलित उपाय खोजा जाए।

आर्थिक घटनाक्रम

ऑपरेशन ग्रीन एंड फ्लड

हाल ही में भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2021 पेश करते हुए घोषणा की कि ऑपरेशन ग्रीन (Operation Green) के अंतर्गत टमाटर, प्याज तथा आलू (TOP) के अलावा जल्दी खराब होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल किया जाएगा।

ऑपरेशन ग्रीन को वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। योजना के अंतर्गत इस बात पर विचार किया गया था कि "ऑपरेशन फ्लड" (Operation Flood- AMUL मॉडल) की तर्ज पर TOP मामले में भी एक वैल्यू चेन का निर्माण किया जाएगा, जिससे उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर कृषि उत्पाद और किसानों को फसल का एक स्थिर मूल्य प्राप्त होता रहेगा।

शुरुआती समय में OG के तीन प्रमुख उद्देश्य थे- कुशल मूल्य शृंखला का निर्माण, व्यापक मूल्य अस्थिरता और फसल बाद के नुकसान को कम करना।

इस योजना के विश्लेषण से पता चला है कि यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में बहुत पीछे है, इसलिये श्वेत क्रांति की सफलता की कहानी को दोहराने के लिये ऑपरेशन फ्लड से बहुत कुछ सीखना होगा।

ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य

- मूल्य अस्थिरता: इसमें भारत की तीन सबसे प्रमुख सब्जियों (TOP) के मामले में व्यापक मूल्य अस्थिरता शामिल होनी चाहिये।
  - टमाटर-प्याज-आलू (Tomatoes-Onions-Potato) तीन बुनियादी सब्जियाँ हैं जो अत्यधिक मूल्य अस्थिरता की स्थिति का सामना करती हैं और सरकार अक्सर किसानों के लिये पारिश्रमिक मूल्य तथा उपभोक्ताओं हेतु सस्ती कीमतों को सुनिश्चित करने के अपने दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने में खुद को लाचार पाती है।
  - जब कृषि उत्पादों की भरमार के कारण कीमतें अनियंत्रित हो जाती हैं, तो NAFED को मूल्य स्थिरीकरण के लिये बाज़ार में हस्तक्षेप करना पड़ता है। ऐसे में कृषि उत्पाद अधिशेष क्षेत्रों से कुछ अतिरिक्त आवक की खरीद करके उन्हें प्रमुख खपत केंद्रों में संग्रहीत किया जाता है।
- कुशल मूल्य शृंखला: यह उपभोक्ताओं से प्राप्त धन का एक बड़ा हिस्सा किसानों को देने के उद्देश्य से नए मूल्य-वर्द्धित उत्पादों के लिये कुशल मूल्य शृंखला बनाने की परिकल्पना करता है।
  - इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organisation- FPO) को सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान है।
- फसल की कटाई के बाद के नुकसान को कम करना: इसमें आधुनिक वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और खाद्य प्रसंस्करण समूहों की स्थापना कर फसल के नुकसान को कम किया जाना चाहिये।

ऑपरेशन ग्रीन बनाम ऑपरेशन फ्लड

- विजातीय TOP: OG के अंतर्गत प्रत्येक वस्तु का दूध की एकरूपता के विपरीत अपनी अलग विशिष्टता, उत्पादन और खपत चक्र है।
  - TOP सब्जियों की कई किस्में हैं जो विभिन्न जलवायु परिस्थितियों और विभिन्न मौसमों में उगाई जाती हैं, जिससे विपणन हस्तक्षेप (प्रसंस्करण और भंडारण) अधिक जटिल हो जाता है।
- APMC बैरियर: दूध किसी APMC बैरियर से नहीं गुज़रता है और न ही इसमें कोई कमीशन शामिल होता है, जिससे किसानों को उपभोक्ता के रुपए का 75-80% हिस्सा मिलता है।
  - TOP का ज़्यादातर कारोबार APMC बाज़ारों में होता है, जहाँ इन पर मंडी शुल्क और कमीशन लगाया जाता है, जिससे किसानों को उपभोक्ता के रुपए का एक-तिहाई से भी कम मिल पाता है।

नोट :

आगे की राह

बागवानी क्षेत्र की विपरीत स्थिति दुग्ध क्षेत्र में देखने को मिलती है। ऑपरेशन फ्लड ने भारत के दूध क्षेत्र को बदल दिया और भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। इस ऑपरेशन की सफलता को दोहराने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

- अलग नियमन निकाय: दूध के लिये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (National Dairy Development Board) की तर्ज पर एक अलग बोर्ड होना चाहिये।
- नियोजित रणनीति: पहला और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ये परिणाम तीन से चार वर्षों में नहीं प्राप्त होते हैं। ऑपरेशन फ्लड लगभग 20 साल तक चला, इससे पहले दूध की मूल्य शृंखला को दक्षता और समावेशिता के ट्रैक पर रखा गया था।
    - इस प्रकार इस योजना को कम-से-कम पाँच साल का समय दिया जाना चाहिये और पर्याप्त परिणाम प्राप्त करने के लिये इसको जवाबदेह बनाया जाना चाहिये।
- उच्च प्रसंस्करण द्वारा उत्पादन हिस्सेदारी को बढ़ाना: उत्पादन की तुलना में प्रसंस्करण की उच्च हिस्सेदारी के चलते दुग्ध क्षेत्र सबसे कम अस्थिरता वाले क्षेत्रों में शामिल है।
    - AMUL मॉडल किसान सहकारी समितियों से दूध की बड़ी मात्रा में खरीद और प्रसंस्करण, फ्लश सीजन (Flush Season) के दौरान मिल्क पाउडर के रूप में अतिरिक्त दूध का भंडारण तथा लीन सीजन (Lean Season) के दौरान इसका उपयोग करने एवं एक संगठित खुदरा नेटवर्क के माध्यम से दूध के वितरण पर आधारित है।
    - इस प्रकार सरकार को बागवानी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के साथ अतिरिक्त 10,000 FPO बनाने के लिये बजट में की गई घोषणा एक सराहनीय कदम है लेकिन इसे तेज़ी से लागू करने की आवश्यकता है।
    - सरकार को शहरी और थोक उपभोक्ताओं के बीच प्रसंस्कृत उत्पादों (टमाटर प्यूरी, प्याज के गुच्छे, पाउडर) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये उद्योग संगठनों के साथ मिलकर अभियान चलाना चाहिये जैसा कि अंडे के लिये किया गया था।
- बाज़ार सुधार की आवश्यकता: ऑपरेशन फ्लड की सफलता यह दर्शाती है कि APMC में मौजूदा APMC मंडियों के अनुबंध आदि के बुनियादी ढाँचे का जीर्णोद्धार करने के लिये बाज़ार में सुधार की आवश्यकता है।
    - नए कृषि कानून बाज़ार सुधारों को पूरा करने का इरादा रखते हैं। हालाँकि इसके लिये नीति निर्माण प्रक्रिया में सबसे महत्त्वपूर्ण हितधारकों यानी किसानों को ध्यान में रखना होगा।

निष्कर्ष

ऑपरेशन ग्रीन का उद्देश्य आगामी वर्ष 2022 के अंत तक किसानों की आय को दोगुना करना है। हालाँकि मुख्य चुनौती विपणन सुधारों को संचालित करने की है ताकि ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन को फलने-फूलने में सक्षम बनाया जा सके।

किसान उत्पादक संगठन

संदर्भ:

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक देश के किसानों की आय को दोगुना करने की परिकल्पना की गई है, हालाँकि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाने की संभावना बहुत ही कम है। ऐसा इसलिये है क्योंकि भारतीय कृषि की दक्षता, उत्पादकता और आर्थिक व्यवहार्यता कई कारकों से प्रभावित होती है।

व्यवस्थित आपूर्ति शृंखला प्रबंधन का अभाव, आधुनिकीकरण की कमी और कृषि जोत के औसत आकार में गिरावट जैसे कारक कृषि संकट के कुछ प्रमुख कारण हैं। इसके अतिरिक्त ये कारक छोटे किसानों को असमान रूप से अधिक प्रभावित करते हैं।

भारत में छोटे और सीमांत किसानों की समस्याओं की पहचान करते हुए सरकार द्वारा सक्रिय रूप से किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को बढ़ावा दिया जा रहा है। FPOs ने छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों के एकत्रीकरण द्वारा किसानों की आर्थिक शक्ति और उनके बाज़ार लिंकेज को बढ़ाने में मदद की है ताकि उनकी आय में सुधार हो सके।

किसान उत्पादक संगठन :

- FPOs, किसान-सदस्यों द्वारा नियंत्रित स्वैच्छिक संगठन हैं, FPOs के सदस्य इसकी नीतियों के निर्माण और निर्णयन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।
- FPOs की सदस्यता लिंग, सामाजिक, नस्लीय, राजनीतिक या धार्मिक भेदभाव के बिना उन सभी लोगों के लिये खुली होती है जो इसकी सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम हैं और सदस्यता की ज़िम्मेदारी को स्वीकार करने के लिये तैयार हैं।
- FPOs के संचालक अपने किसान-सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रबंधकों एवं कर्मचारियों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं ताकि वे अपने FPOs के विकास में प्रभावी योगदान दे सकें।
- गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ अन्य राज्यों में FPOs ने उत्साहजनक परिणाम दिखाए हैं और इनके माध्यम से किसान अपनी उपज से बेहतर आय प्राप्त करने में सफल रहे हैं।
  - उदाहरण के लिये राजस्थान के पाली ज़िले में आदिवासी महिलाओं ने एक उत्पादक कंपनी का गठन किया और इसके माध्यम से उन्हें शरीफा/कस्टर्ड एप्पल के उच्च मूल्य प्राप्त हो रहे हैं।

FPOs के लाभ:

- औसत जोत आकार की चुनौती का समाधान: भारत में औसत जोत का आकार वर्ष 1970-71 के 2.3 हेक्टेयर (हेक्टेयर) से घटकर वर्ष 2015-16 में 1.08 हेक्टेयर रह गया। साथ ही कृषि क्षेत्र में छोटे और सीमांत किसानों की हिस्सेदारी वर्ष 1980-81 के 70% से बढ़कर वर्ष 2015-16 में 86% हो गई।
  - FPOs किसानों को सामूहिक खेती के लिये प्रोत्साहित कर सकते हैं और जोत के छोटे आकार से उत्पन्न उत्पादन से उत्पादकता संबंधी चुनौतियों को संबोधित कर सकते हैं।
  - इसके अलावा कृषि नवोन्मेष और उत्पादकता में वृद्धि से अतिरिक्त रोज़गार सृजन में भी सहयता प्राप्त होगी।
- कॉर्पोरेट्स के साथ बातचीत: FPO किसानों को मोलभाव के दौरान बड़े कॉर्पोरेट उद्यमों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने में मदद कर सकता है, क्योंकि यह सदस्यों को एक समूह के रूप में बातचीत एवं समझौता करने में सक्षम बनाता है। साथ ही यह आगत और उत्पाद बाज़ार में किसानों की सहायता कर सकता है।
- एकत्रीकरण: FPO सदस्य किसानों को कम लागत और गुणवत्तापूर्ण इनपुट उपलब्ध करा सकता है। उदाहरण के रूप में फसलों के लिये ऋण, मशीनरी की खरीद, कृषि-इनपुट (उर्वरक, कीटनाशक आदि) और कृषि उपज का प्रत्यक्ष विपणन के संदर्भ में।
  - इससे सदस्य समय, लेन-देन की लागत, डिस्ट्रेस सेल, मूल्य में उतार-चढ़ाव, परिवहन, गुणवत्ता रखरखाव आदि के रूप में बचत कर सकेंगे।
- सामाजिक प्रभाव: FPO के रूप में एक सामाजिक पूंजी का विकास होगा, क्योंकि इससे FPO में लैंगिक भेदभाव को दूर करने और संगठन के निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिला किसानों की भागीदारी में सुधार हो सकता है।
  - यह सामाजिक संघर्षों को कम करने के साथ ही समुदाय में बेहतर भोजन एवं पोषण को बढ़ाने में सहायता कर सकता है।

आगे की राह:

- FPOs की संख्या में वृद्धि: कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि भारत जैसे बड़े देश के लिये हमें एक लाख से अधिक FPOs की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में देश में सक्रिय कुल FPOs की संख्या 10,000 से भी कम है।
  - इस संदर्भ में सरकार ने FPOs को बढ़ावा देने के लिये कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
- संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित करना: कई FPOs को अपर्याप्त तकनीकी कौशल, अपर्याप्त पेशेवर प्रबंधन, कमज़ोर वित्तीय व्यवस्था, ऋण की अपर्याप्त पहुँच, जोखिम शमन तंत्र की कमी और बाज़ार तथा बुनियादी ढाँचे का अभाव जैसी अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  - FPOs के विस्तार के साथ कार्यशील पूंजी, विपणन, बुनियादी ढाँचे आदि से संबंधित अन्य उपरोक्त मुद्दों को संबोधित करना होगा।
  - क्रेडिट प्राप्त करना FPOs के लिये सबसे बड़ी समस्या रही है। ऐसे में FPOs को ऋण देने हेतु बैंकों में विशेष योजनाओं/उत्पादों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

नोट :

- FPOs को अधिक प्रभावी बनाने के लिये उन्हें इनपुट कंपनियों, तकनीकी सेवा प्रदाताओं, विपणन/प्रसंस्करण कंपनियों, खुदरा विक्रेताओं, आदि के साथ जोड़ना होगा।
- उन्हें बाज़ारों, कीमतों और अन्य जानकारियों के साथ सूचना प्रौद्योगिकी में दक्षता प्रदान करने की आवश्यकता है।

- FPOs के संवर्द्धन हेतु सरकार के प्रयास:
  - वर्ष 2011 से सरकार द्वारा 'लघु कृषक कृषि व्यापार संघ' (Small Farmers' Agri-Business Consortium-SFAC), नाबार्ड, राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों के तहत FPOs को सक्रियता के साथ बढ़ावा दिया जा रहा है।
  - केंद्रीय बजट 2018-19 में FPOs के लिये पाँच वर्ष की कर छूट सहित कई सहायक उपायों की घोषणा की गई, जबकि केंद्रीय बजट 2019-20 के तहत अगले पाँच वर्षों में 10,000 नए FPOs की स्थापना करने की बात की गई थी।
  - एक जनपद एक उत्पाद क्लस्टर: हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा FPOs के महत्त्व को रेखांकित किया गया, जिन्हें उत्पादन क्लस्टर में विकसित किया जाना है। उत्पादन क्लस्टर में आकारिक मितव्ययिता का लाभ उठाने और सदस्यों के लिये बाज़ार पहुँच में सुधार हेतु कृषि और बागवानी उत्पादों की खेती की जाती है।
    - एक जनपद एक उत्पाद क्लस्टर फसलों के उत्पादन में विशेषज्ञता और कृषि उत्पादों के बेहतर प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग तथा निर्यात को बढ़ावा देगा।
- सामूहिक कृषि: FPOs के माध्यम से एक ही क्षेत्र में उपस्थित अलग-अलग किसानों के छोटी जोत वाले खेतों का उपयोग करते हुए सामूहिक कृषि को बढ़ावा दिया जा सकता है।
  - इसके साथ ही आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत करने और नए बाज़ारों को खोजने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। सामूहिक खेती में महिला किसान प्रमुख भूमिका निभाएंगी।

निष्कर्ष:

पिछले एक दशक में केंद्र सरकार ने किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को किसानों की मदद के लिये प्रोत्साहित किया है। हालाँकि FPOs से मिलने वाले लाभ की वजह से निश्चित ही कृषि आय में वृद्धि होगी, परंतु फिर भी यह छोटे और सीमांत किसानों को उचित आय प्रदान करने के लिये पर्याप्त नहीं होगा।

The Vision

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

ईरान परमाणु समझौते की बहाली

संदर्भः

हाल ही में 'जो बाइडन' (Joe Biden) को संयुक्त राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। विदेश नीति के मोर्चे पर बाइडन ने शीघ्र ही ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते में पुनः शामिल होने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, ध्यातव्य है कि इस समझौते को संयुक्त व्यापक कार्य योजना (Joint Comprehensive Plan of Action- JCPOA) के रूप में भी जाना जाता है।

JCPOA पर वर्ष 2015 में हस्ताक्षर किये गए थे, परंतु पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे वर्ष 2018 में वापस ले लिया और ईरान को बातचीत की मेज पर वापस लाने के लिये 'अधिकतम दबाव' की नीति अपनाई।

अधिकतम दबाव के इस अभियान ने ईरान की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया परंतु यह नीति ईरान को वार्ता की मेज पर वापस लाने या इराक, सीरिया अथवा लेबनान में अपने हस्तक्षेप को कम करने के लिये विवश करने में विफल रही।

जो बाइडन ने JCPOA में वापसी की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है, बशर्ते ईरान द्वारा इस समझौते के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। JCPOA में अमेरिका की वापसी मध्यपूर्व की क्षेत्रीय शांति की दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है। हालाँकि अमेरिका और ईरान के वार्ता की मेज पर लौटने के मार्ग में अभी भी कई चुनौतियाँ हैं।

ईरान परमाणु समझौताः घटनाक्रम और पृष्ठभूमि

- JCPOA ईरान और P5+1 देशों (चीन, फ्राँस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ, या EU) के बीच वर्ष 2013 एवं वर्ष 2015 के बीच चली लंबी बातचीत का परिणाम था।
- यह ओमान की मध्यस्थता के साथ अमेरिका (अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा) और ईरान के बीच आयोजित गुप्त बैक चैनल वार्ताओं के कारण संभव हो सका, ये वार्ताएँ वर्ष 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद उत्पन्न स्थिति में पुनः विश्वास बहाली के प्रयासों का हिस्सा थी।
- JCPOA ने ईरान को उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को आंशिक रूप से हटाने के बदले में एक अंतर्वेधी निरीक्षण प्रणाली की निगरानी में अपने परमाणु संवर्द्धन कार्यक्रम को सीमित करने के लिये बाध्य किया।
- हालाँकि एक आक्रामक रिपब्लिकन सीनेट के साथ राष्ट्रपति ओबामा इस परमाणु समझौते पर सीनेट से मंज़ूरी प्रदान कराने में असमर्थ रहे थे, परंतु ईरान पर लगे प्रतिबंधों में छूट के लिये इसे आवधिक कार्यकारी आदेशों के आधार पर लागू किया गया। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद वे इस समझौते से पीछे हट गए और उन्होंने इसे एक "बहुत ही खराब, एकतरफा सौदा बताया, जिसे कभी नहीं लागू किया जाना चाहिये था।"
- अमेरिका के इस समझौते से अलग होने के निर्णय की JCPOA में शामिल अन्य सदस्यों (यूरोपीय सहयोगियों सहित) ने आलोचना की क्योंकि उस समय तक ईरान इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का अनुपालन कर रहा था और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) द्वारा इसे प्रमाणित भी किया गया था।
- ईरान पर अमेरिका के एकतरफा प्रतिबंधों की सख्ती के साथ दोनों देशों के बीच तनाव भी बढ़ गया, अमेरिकी प्रतिबंधों के विस्तार के साथ वैश्विक वित्तीय प्रणाली से जुड़े लगभग सभी ईरानी बैंक, धातु, ऊर्जा, और शिपिंग से संबंधित उद्योग, रक्षा, खुफिया तथा परमाणु प्रतिष्ठानों से संबंधित लोग आदि सभी इसके दायरे में आ गए थे।
- अमेरिका के इस समझौते से पीछे हटने के पहले वर्ष में ईरान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली क्योंकि इस दौरान E-3 देशों (फ्राँस, जर्मनी, यू.के.) और यूरोपीय संघ ने अमेरिकी फैसले के प्रभावों को कम करने हेतु समाधान खोजने का वादा किया था।
- E-3 देशों ने 'इंसटेक्स' (Instrument in Support of Trade Exchanges- INSTEX) के माध्यम से कुछ राहत प्रदान करने का वादा किया, ध्यातव्य है कि इंसटेक्स की स्थापना वर्ष 2019 में ईरान के साथ सीमित व्यापार की सुविधा के लिये की गई थी।

नोट :

- हालाँकि मई 2019 तक ईरान का यह रणनीतिक धैर्य समाप्त हो गया क्योंकि वह E-3 द्वारा अपेक्षित आर्थिक राहत पाने में विफल रहा। ऐसे में जब ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का प्रभाव तीव्रता से होने लगा तो ईरान 'अधिकतम प्रतिरोध' की रणनीति की तरफ स्थानांतरित हो गया।

'अधिकतम प्रतिरोध' की ईरानी नीति:

- मई 2019 से ईरान ने स्वयं को JCPOA की बाध्यताओं से लगातार दूर करना शुरू कर दिया, इसके तहत ईरान ने निम्न संवर्द्धित यूरेनियम पर 300 किलोग्राम और भारी जल पर 130 मीट्रिक टन की सीमा को पार करने के साथ संवर्द्धन स्तर को 3.67% से बढ़ाकर 4.5% कर दिया। इसके अतिरिक्त उन्नत सेंट्रीफ्यूज पर अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने के साथ फोरदो परमाणु केंद्र में यूरेनियम संवर्द्धन का कार्य पुन: शुरू कर दिया गया तथा उपयोग में लाए जाने वाले अधिकतम सेंट्रीफ्यूज की संख्या पर लगी सीमा का भी उल्लंघन किया गया।
- जनवरी 2020 में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी पर ड्रोन हमले के बाद ईरान ने घोषणा की कि वह अब JCPOA की बाध्यताओं का पालन नहीं करेगा।

समझौते की पुनर्बहाली से जुड़ी चुनौतियाँ:

- ईरान और सऊदी अरब के बीच क्षेत्रीय शीत युद्ध: सऊदी अरब, अमेरिका की मध्य-पूर्व नीति की आधारशिला है। अमेरिका ने सऊदी-अरब के साथ अपने संबंधों को इसलिये भी मज़बूत किया है, ताकि वह इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिये ईरान के खिलाफ एक काउंटर बैलेंस के रूप में काम कर सके।
  - हालाँकि ईरान और सऊदी अरब के बीच पारंपरिक शिया बनाम सुन्नी संघर्ष एक क्षेत्रीय शीत युद्ध में बदल गया।
  - ऐसे में JCPOA को बहाल करने हेतु अमेरिका के लिये एक बड़ी चुनौती इन दो क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों के बीच शांति बनाए रखना है।
- ईरान की आक्रामकता: वर्तमान परिस्थिति में JCPOA को पुन: शुरू करने की चुनौती यह है कि ईरान अब भी इस समझौते की कई महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन कर रहा है, जैसे-समृद्ध यूरेनियम के भंडार की सीमा आदि।
  - अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (International Atomic Energy Agency-IAEA) के अनुसार, नवंबर 2020 तक ईरान के पास उपलब्ध निम्न संवर्द्धित यूरेनियम लगभग 2,440 किलोग्राम से अधिक था, जो कि वर्ष 2015 के परमाणु समझौते के तहत निर्धारित सीमा से आठ गुना अधिक है।
  - इसके अतिरिक्त ईरान को हुए अरबों डॉलर के आर्थिक नुकसान के लिये उसने अमेरिका से क्षतिपूर्ति की मांग की है, जिसका सामना ईरान को तब करना पड़ा जब वर्ष 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वयं को JCPOA से अलग करते हुए उस पर पर पुन: प्रतिबंध लागू कर दिये थे।

JCPOA की पुनर्बहाली का भारत पर प्रभाव:

JCPOA की बहाली से ईरान पर कई प्रतिबंधों में कटौती हो सकती है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत की मदद कर सकता है। इसे निम्नलिखित उदाहरणों के आधार पर समझा जा सकता है:

- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा: ईरान पर लगे प्रतिबंधों के हटने से चाबहार, बंदर अब्बास बंदरगाह, और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से संबंधित अन्य योजनाओं में भारत की हितों को संरक्षण प्रदान किया जा सकेगा।
  - यह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह में चीनी उपस्थिति को बेअसर करने में भारत की मदद करेगा।
  - चाबहार के अलावा ईरान से होकर गुज़रने वाले 'अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण पारगमन गलियारे' (INSTC) से भारत के हितों को भी बढ़ावा मिल सकता है। गौरतलब है कि INSTC के माध्यम से पाँच मध्य एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
- ऊर्जा सुरक्षा: अमेरिका की आपत्तियों और CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) के दबाव के कारण भारत को ईरान से आने वाले तेल के आयात को शून्य करना है।
  - अमेरिका और ईरान के बीच संबंधों की बहाली से भारत को ईरान से सस्ते तेल की खरीद करने और अपनी ऊर्जा सुरक्षा को समर्थन प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

निष्कर्ष:

ईरान परमाणु समझौता कई देशों का संयुक्त प्रयास है। हालाँकि ट्रंप के इस समझौते से अलग होने के निर्णय ने इसे पूरी तरह से समाप्त तो नहीं किया परंतु JCPOA को गंभीर क्षति पहुँचाई है। ट्रंप की तरह जो बाइडन भी इस संधि को मध्य-पूर्व में अपने प्रशासन के दृष्टिकोण का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहेंगे, परंतु इस समझौते को सफलतापूर्वक पुन: लागू करना कहीं अधिक कठिन हो सकता है।

नॉलेज डिप्लोमेसी

संदर्भ:

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा ब्राज़ील के अमेजोनिया-1 उपग्रह का प्रक्षेपण और भारत की "वैक्सीन मैत्री" कूटनीति के तहत ब्राज़ील सहित अन्य देशों को COVID-19 वैक्सीन का निर्यात यह दर्शाता है कि भारत की नॉलेज इकॉनमी देश की राजनयिक पूंजी में किस प्रकार योगदान दे सकती है।

अंतरिक्ष और फार्मा क्षेत्र की वैश्विक सफलता भारत के ज्ञान उद्योग की कूटनीतिक और "नरम शक्ति" की क्षमता की ओर संकेत करती है।

पूर्व में भारत के नॉलेज सेक्टर ने अन्य विकासशील देशों को अपनी नॉलेज इकॉनमी विकसित करने हेतु एक रोल मॉडल बनने में सहायता की है।

हालाँकि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अंतरिक्ष, फार्मा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों को छोड़कर नॉलेज इकॉनमी में इस बढ़त को खो दिया।

नॉलेज इकॉनमी (Knowledge Economy):

- नॉलेज इकॉनमी एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें वस्तुएँ और सेवाएँ मुख्य रूप से ज्ञान-प्रधान गतिविधियों पर आधारित होती हैं, जो तकनीकी तथा वैज्ञानिक नवाचार की तीव्र प्रगति में योगदान देती हैं।
- नवीन विचार, सूचना और व्यवहार के लिये मानव पूंजी तथा बौद्धिक संपदा पर अधिक निर्भरता इसका महत्त्वपूर्ण तत्त्व है।
- नॉलेज इकॉनमी में माइक्रोइकोनॉमिक और मैक्रोइकोनॉमिक वातावरण के भीतर अत्यधिक कुशल कर्मचारियों को शमिल किया जाता है। संस्थान और उद्योग ऐसी नौकरियों के अवसर पैदा करते हैं जिनमें वैश्विक बाज़ार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये विशेष कौशल की आवश्यकता होती है।
- सैद्धांतिक रूप से ज्ञान और आर्थिक निधि तैयार करने की क्षमता एक व्यक्ति की मौलिक व्यक्तिगत पूंजी होती है।
- ज्ञान को श्रम और पूंजी के अलावा एक अतिरिक्त इनपुट के रूप में देखा जाता है।

नॉलेज डिप्लोमेसी क्या है?

- नॉलेज डिप्लोमेसी, दो या दो से अधिक देशों के बीच संबंधों के निर्माण और उन्हें मज़बूत करने में अंतर्राष्ट्रीय उच्च शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार की भूमिका को संदर्भित करती है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिये एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जहाँ शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, वैश्विक विकासात्मक राजनीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- नॉलेज डिप्लोमेसी यह स्वीकार करती है कि कई घरेलू मुद्दे अब वैश्विक मुद्दे हैं और इसके विपरीत कई वैश्विक चुनौतियाँ अब घरेलू चुनौतियाँ हैं।
- नॉलेज डिप्लोमेसी यह स्वीकार करती है कि जैसे-जैसे हम तेज़ी से वैश्वीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, इस व्यवस्था के अंतर्गत परस्पर जुड़ा और अन्योन्याश्रित विश्व नए अवसरों के साथ नई चुनौतियाँ और खतरे प्रस्तुत करता है जिन्हें कोई राष्ट्र अकेले संबोधित नहीं कर सकता है।

भारत की नॉलेज डिप्लोमेसी के उदाहरण:

- भारत की नॉलेज डिप्लोमेसी के इतिहास को वर्ष 1950 के दशक के शुरूआती वर्षों से जोड़कर देखा जा सकता है, जब कई विकासशील देशों द्वारा विकास उन्मुख ज्ञान का उपयोग करने के लिये भारत से सहायता की अपेक्षा की गई।
- इस दौरान एशिया और अफ्रीका के छात्रों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिये भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करने की उत्सुकता दिखी।
- खाद्य और कृषि संगठन (FAO), संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI) जैसे वैश्विक संगठनों द्वारा भारतीय विशेषज्ञता तक पहुँच प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की गई थी।

- दक्षिण कोरिया की सरकार ने लंबी अवधि की योजना बनाने के लिये प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु वर्ष 1960 के दशक की शुरुआत तक अपने अर्थशास्त्रियों को भारतीय योजना आयोग के पास भेजा। वर्ष 1970 के दशक तक दक्षिण कोरिया आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में भारत से आगे निकल गया था।
- रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज़ (RITES), जिसे वर्ष 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा स्थापित किया था, ने अफ्रीका और एशिया में व्यापार करने के साथ ही एक वैश्विक प्रोफाइल अर्जित की।
- भारत की डेयरी और पशुधन अर्थव्यवस्था के विकास ने भी विश्व का ध्यान आकर्षित किया।
- वर्तमान में अंतरिक्ष और फार्मा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के कारण भारत कई देशों के उपग्रहों को वैश्विक प्रतिस्पर्द्धी दरों पर अंतरिक्ष में भेज सकता है तथा विकासशील देशों को सस्ती कीमत पर दवाओं एवं टीकों की आपूर्ति कर सकता है।

नॉलेज डिप्लोमेसी के नेतृत्व की चुनौतियाँ:

- प्रतिभा पलायन: भारत में वर्ष 1970 के दशक से ही स्थानीय प्रतिभाओं का पलायन शुरू हो गया था, तब से इसमें काफी तेज़ी आई है। रोज़गार की बेहतर संभावनाओं के कारण हाल के वर्षों में इसमें तेज़ी से वृद्धि हुई है।
- चीन से प्रतिस्पर्द्धा: पिछले कुछ वर्षों में चीन इस क्षेत्र में भारत के लिये एक मज़बूत प्रतिद्वंद्वी बनकर उभरा है, जो अपेक्षाकृत कम कीमतों पर समान गुणवत्ता (यदि बेहतर नहीं) वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े उत्पाद तथा सेवाएँ उपलब्ध करा रहा है।
  - हालाँकि भारत ने आईटी सॉफ्टवेयर में अपनी बढ़त बनाए रखी है, परंतु चीन ने अंतरिक्ष, फार्मा, रेलवे और कई अन्य ज्ञान-आधारित उद्योगों में प्रतिस्पर्द्धी क्षमताओं का विकास किया है।
- दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से प्रतिस्पर्द्धा: भारतीयों की अंग्रेज़ी भाषा की अच्छी जानकारी और गणित तथा सांख्यिकी में शिक्षण की अच्छी गुणवत्ता ने भारतीय कंपनियों को डेटा प्रोसेसिंग, बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और सॉफ्टवेयर सेवाओं में प्रतिस्पर्द्धी बने रहने में सक्षम बनाया है।
  - हालाँकि दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा के कारण इस बढ़त को चुनौती मिलने लगी है।
- बिगड़ते शिक्षा मानक: भारत की नॉलेज इकॉनमी की वैश्विक छवि को सबसे बड़ा झटका उच्च शिक्षा क्षेत्र के कारण लगा है।
  - भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने अन्य देशों के प्रवासी छात्रों को अपनी ओर इसलिये आकर्षित किया क्योंकि वे विकसित देशों के संस्थानों की तुलना में बहुत ही कम लागत पर अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करते थे।
  - परंतु हाल के वर्षों में प्रवासी छात्रों के बीच भारतीय संस्थानों की यह छवि धूमिल हुई है।
- बिगड़ता सामाजिक परिवेश: इसके अतिरिक्त भारतीय संस्थानों में आने वाले विदेशी छात्रों की संख्या में गिरावट का कारण अधिकांश संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में आई कमी ही नहीं, बल्कि संकीर्ण विचारधाराओं का बढ़ता प्रभाव तथा यहाँ उपलब्ध सामाजिक वातावरण अब उतना विश्ववादी नहीं रह गया है, जैसा कि पहले हुआ करता था।

आगे की राह:

- अंतरिक्ष और फार्मा की सफलता का अनुकरण: यदि ISRO की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धी क्षमता सार्वजनिक नीति और सरकार के समर्थन का परिणाम है, तो फार्मा क्षेत्र को औषध विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी में निजी उद्यम तथा मध्यवर्गीय प्रतिभा के योगदान के कारण वैश्विक सफलता प्राप्त हुई है।
  - अंतरिक्ष और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में विश्व भर के कई देशों तक फैली भारत की वर्तमान वैश्विक कूटनीति दोनों क्षेत्रों में "आत्मनिर्भरता" के लिये 50 वर्षों के निरंतर राजकीय समर्थन का परिणाम है।
  - अत: इस प्रकार अंतरिक्ष और फार्मा की सफलता की कहानी को ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी दोहराए जाने की आवश्यकता है।
- प्रतिभा पलायन की समस्या को संबोधित करना: सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों को भारतीय प्रतिभाओं के लिये रोज़गार की बेहतर संभावनाएँ विकसित करने की आवश्यकता है।
  - यह देश में एक ब्रेन बैंक की स्थापना में सहायता कर सकता है जो भारत के विकास को मज़बूती प्रदान करेगा।

- शिक्षा मानकों में सुधार: यदि भारत अपने मानव संसाधन को वैश्विक प्रतिभा के साथ प्रतिस्पर्द्धा में बढ़त दिलाना चाहता है तो इसके लिये देश के शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधारों को लागू करने की आवश्यकता होगी।
  - यह सिर्फ नॉलेज डिप्लोमेसी का लाभ उठाने के लिये ही नहीं बल्कि एक अरब से अधिक आबादी वाले देश की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये भी आवश्यक है।

निष्कर्ष:

वर्तमान में अंतरिक्ष और फार्मा क्षेत्र भारत के नॉलेज डिप्लोमेसी के एक संकीर्ण पिरामिड के शीर्ष पर हैं। हालाँकि नॉलेज डिप्लोमेसी की पूरी क्षमता का लाभ उठाने के लिये देश में उपलब्ध विभिन्न क्षेत्रों की क्षमताओं के संदर्भ में अभी बहुत कुछ किया जाना आवश्यक है।

भारत-बांग्लादेश: संबंध सुधार के नए अवसर

संदर्भ:

भारत के लिये बांग्लादेश दक्षिण एशियाई क्षेत्र और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख भागीदार के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका रखता है। यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट की नीति का भी एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।

भारत और बांग्लादेश के बीच सामरिक महत्त्व एवं सहयोग के कई क्षेत्रों के बावजूद दोनों देशों के बीच कई मुद्दों को लेकर कुछ तनाव भी बने हुए हैं।

वर्तमान समय में भारत के लिये आर्थिक एवं सामरिक दृष्टि से महत्त्व रखने वाले देश (बांग्लादेश) के साथ संबंध बनाए रखना तब और भी महत्त्वपूर्ण हो जाता है, जब चीन पहले से ही भारत तथा इसके पड़ोसी देशों के संबंधों के बीच अपने हस्तक्षेप को तीव्र करने के साथ इस क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है।

हाल के वर्षों में सहयोग के प्रमुख क्षेत्र:

- द्विपक्षीय संबंध: वर्ष 2021 भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना का 50वाँ वर्ष है।
  - भारतीय प्रधानमंत्री भी इसी माह बांग्लादेश के राष्ट्रपिता मुजीबुर रहमान (17 मार्च, 1920-15 अगस्त, 1975) के शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिये बांग्लादेश का दौरा करेंगे।
  - बांग्लादेश सेना की टुकड़ी ने भी गणतंत्र दिवस समारोह 2021 में हिस्सा लिया था।
  - इसके अतिरिक्त गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाने के लिये भारत की प्रतिबद्धता ने द्विपक्षीय संबंधों की सकारात्मक प्रगति को नई ऊर्जा प्रदान करने में सहायता की है।
- स्वर्णिम विजय वर्ष: 'स्वर्णिम विजय वर्ष' (स्वतंत्रता के 50वें वर्ष) के भाग के रूप में बांग्लादेश में मोंगला बंदरगाह के लिये भारतीय नौसेना जहाज़ों का पहला दौरा निर्धारित किया गया है।
  - स्वदेशी रूप से विकसित सुमेधा (अपतटीय गश्ती पोत) और कुलिश (निर्देशित मिसाइल कोरवेट) इस आयोजन में शामिल होने के लिये मोंगला बंदरगाह पर पहुँचेंगे।
- प्रगति के अन्य प्रमुख क्षेत्र: बांग्लादेश के चटोग्राम (चटगाँव) बंदरगाह से अगरतला तक कार्गो के पारगमन का परीक्षण परिचालन किया गया है।
  - बांग्लादेश के माध्यम से त्रिपुरा को राष्ट्रीय जलमार्ग से जोड़ने के लिये अंतर्देशीय जलमार्गों में दो नए प्रोटोकॉल मार्ग जोड़े गए हैं।
- मैत्री सेतु: भारतीय प्रधानमंत्री त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहने वाली फेनी नदी पर बने 'मैत्री सेतु' पुल का उद्घाटन करेंगे।
  - 'मैत्री सेतु' नाम भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय और मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक है।
- ट्रेन और बस मार्ग: दिसंबर 2020 में हल्दीबाड़ी (पश्चिम बंगाल) और चिल्हाटी (बांग्लादेश) के बीच लगभग 55 वर्षों के बाद फिर से रेल संपर्क शुरू किया गया।
  - दोनों देश अब ढाका और सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) के बीच बस मार्ग खोलने की प्रक्रिया पर काम कर रहे।

द्विपक्षीय संबंधों के मार्ग में प्रमुख बाधाएँ:

- सीएए और एनआरसी: भारत और बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक, भाषायी और सांस्कृतिक संपर्क द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति के लिये एक मज़बूत आधार प्रदान करता है।
  - हालाँकि असम में लागू किये राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसी पहलों ने दोनों देशों के संबंधों में तनाव उत्पन्न किया है।
- जल विवाद: दोनों देशों के बीच साझा संसाधनों जैसे तीस्ता नदी जल बँटवारे के मुद्दे को हल करने में काफी लंबा समय लग रहा है।
- चीन का पहलू: वर्तमान में बांग्लादेश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का एक सक्रिय भागीदार है, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किये हैं।
  - सुरक्षा क्षेत्र में बांग्लादेश पनडुब्बियों सहित चीनी सैन्य उपकरणों का एक प्रमुख प्राप्तकर्त्ता भी है।
  - इसके अतिरिक्त चीन ने वर्ष 2020 में एक "विकास भागीदार" के रूप में बांग्लादेश की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये समर्थन बढ़ाने का वादा किया है।
  - बांग्लादेश ने 'तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट' को विकसित करने के लिये चीन से लगभग 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की भी मांग की थी।
- बांग्लादेशी नागरिकों की हत्या: वर्ष 2020 में बांग्लादेशी नागरिकों की हत्या की घटनाओं में वृद्धि देखने को मिली है। हत्या की ये घटनाएँ पिछले एक दशक में सबसे अधिक हुईं।
  - भारत-बांग्लादेश सीमा पर इन हत्याओं के लिये आपराधिक गतिविधियाँ ही उत्तरदायी रही हैं।

आगे की राह:

- विकासशील बांग्लादेश के साथ संबंध मज़बूत करना: बांग्लादेश COVID-19 महामारी के दौरान भी अपने शानदार आर्थिक प्रदर्शन की वजह से एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है।
  - वर्तमान समय के बदलते भू-आर्थिक समीकरणों को देखते हुए बांग्लादेश के साथ संबंधों को मज़बूत करना आवश्यक हो गया है।
    - बांग्लादेश अपनी बढ़ती आर्थिक प्रगति के साथ क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण भागीदारी का अवसर प्रदान करता है।
  - इसके अतिरिक्त भारत और बांग्लादेश विश्व में पाँचवीं सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करते हैं।
  - सुरक्षा और सीमा प्रबंधन को मज़बूत करने हेतु भारत के लिये बांग्लादेश के साथ सकारात्मक सक्रिय संबंध बनाए रखना महत्त्वपूर्ण है।
- जल बँटवारे से जुड़े मुद्दों को हल करना: दोनों देश 54 नदियों के जल को साझा करते हैं, ऐसे में व्यवस्थित जल प्रबंधन द्विपक्षीय संबंधों की समृद्धि को सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है।
  - तीस्ता परियोजना भारत के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, अत: इसे जल्द-से-जल्द हल किया जाना चाहिये।
  - भारत को अपनी सभी प्रतिबद्धताओं को समयबद्ध तरीके से लागू करना चाहिये अन्यथा बांग्लादेश में व्याप्त भारत विरोधी अव्यक्त भावनाएँ दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिये एक नई बाधा उत्पन्न कर सकती है।
- चीनी प्रभाव को कम करना: वर्तमान में चल रहे भारत-चीन तनाव के बीच दोनों ही देश बांग्लादेश में अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहते हैं, परंतु अभी तक इस प्रतिस्पर्द्धा में भारत की तुलना में चीन, बांग्लादेश को बेहतर विकल्प प्रदान करने में सफल रहा है।
  - वर्तमान में बांग्लादेश को अधिक विदेशी धन और सहायता की आवश्यकता है जिसे वह भारत या चीन किसी से भी स्वीकार करेगा, ऐसे में भारत को चीन का मुकाबला करने के लिये बांग्लादेश के साथ मिलकर कार्य करना चाहिये।
- अन्य संभावित सहयोग: भारत और बांग्लादेश पूर्वोत्तर में कृषि एवं कृषि उत्पाद के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में कार्य कर सकते हैं।
  - कृषि में दोनों देशों के संबंधों के संदर्भ में व्यापक सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता है।
  - इस क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग वर्तमान आर्थिक चुनौतियों को दूर करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

निष्कर्ष:

- बांग्लादेश के साथ भारत के हितों के जुड़े होने का कारण सिर्फ इसकी पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा ही नहीं बल्कि अन्य सामरिक मुद्दे भी हैं। ऐसे में यह पूर्व के मुद्दों से अलग होने और बांग्लादेश के साथ संबंधों की एक नई रूपरेखा तैयार करने के हाल ही में प्राप्त अवसर को जाने नहीं दे सकता।
- सरकार को बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंधों के संदर्भ में लगातार सतर्क रहने की आवश्यकता है। अन्यथा भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को नई दिशा देने के इस अवसर को खोने और क्षेत्र में चीन को अपने प्रभुत्व को बढ़ावा देना बहुत आसान हो सकता है।

दृष्टि The Vision

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों का विनियमन

संदर्भ:

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में एक नए 'न्यूज़ मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मैंडेटरी बार्गेनिंग कोड' (News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code) को लागू किया गया है। इस कोड का उद्देश्य फेसबुक और गूगल जैसी बड़ी टेक फर्मों को अपनी न्यूज़ फीड या सर्च रिज़ल्ट में स्थानीय मीडिया आउटलेट्स तथा प्रकाशकों की सामग्री को लिंक करने के बदले में उन्हें उचित भुगतान करने के लिये बाध्य करना है।

ऑस्ट्रेलियाई कानून को बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों को विनियमित करने और वैश्विक संचार पर उनके नियंत्रण को वापस लेने हेतु विश्व के अन्य देशों के आगामी प्रयासों के पहले कदम के रूप में देखा जा रहा है।

इसी प्रकार सोशल मीडिया पर सख्ती बढ़ाने के लिये भारत सरकार द्वारा भी कई नियमों की घोषणा की गई है। विशेष रूप से सोशल मीडिया कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित सामग्री के लिये "अधिक ज़िम्मेदार और अधिक जवाबदेह" बनने की आवश्यकता है।

हालाँकि इन प्लेटफॉर्मों को विनियमित करने की अपनी चुनौतियाँ हैं जैसे कि मुक्त भाषण की स्वतंत्रता पर प्रभाव, मुक्त भाषण के एक माध्यम और हाशिये पर खड़े लोगों की आवाज़ के रूप में उनकी (सोशल मीडिया कंपनियाँ) भूमिका के लिये बाधक बनना आदि।

ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने की आवश्यकता:

- इंटरनेट का एकाधिकार: वर्तमान में बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियाँ अन्य प्रतिद्वंद्वी कंपनियों को क्षति पहुँचाने के लिये अपने पूंजी आधार का लाभ उठाते हुए बेहद कम कीमतों पर उत्पादों और सेवाओं को उपलब्ध कराने के साथ प्रतियोगियों को बाहर कर रही हैं।
  - वे उपभोक्ताओं के डेटा को नियंत्रित करते हैं, जो इंटरनेट बाज़ार में किसी भी संस्थान की पकड़ को निर्धारित करने का प्रमुख कारक है।
- निगरानी पूंजीवाद: बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियाँ लोगों की ऑनलाइन गतिविधियों का व्यापक डेटा एकत्र करती हैं और लक्षित विज्ञापनों के माध्यम से इस डेटा का उपयोग अपने व्यावसायिक हितों के लिये करती हैं।
  - ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित संहिता के तहत फेसबुक और गूगल को अपने एल्गोरिदमिक मॉड्यूल और डेटासेट को नियमकीय समीक्षा के लिये खोलना होगा जो इन कंपनियों की विज्ञापन गतिविधियाँ को आधार प्रदान करता है।
- हेट स्पीच तथा दहशत फैलाने पर नियंत्रण: दुर्भावना फैलाना और राजनीतिक ध्रुवीकरण ऐसे विचार जो कि नैतिक दहशत को जन्म देते हैं, जैसे-अभद्र भाषा, आतंकवादी प्रचार आदि को बढ़ावा देने के लिये बड़े पैमाने पर बिग टेक प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है।
  - इसके कारण सरकार का हस्तक्षेप इस पूर्वधारणा पर टिका हुआ है कि आपत्तिजनक भाषण को हटाना कभी भी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के व्यावसायिक हित में नहीं होगा क्योंकि यह सामग्री अधिक आसानी से वायरल हो जाती है और अधिक दर्शक तथा अधिक डेटा के साथ अधिक विज्ञापन राजस्व प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है।
- सार्वजनिक हितों की रक्षा: इसके अतिरिक्त राज्य जनहित के रक्षक होते हैं और एक लोकतांत्रिक समाज में सरकारें लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने के लिये चुनी जाती हैं।
  - ऐसे में बोलने या विचारों की स्वतंत्रता को सीमित करने या इसकी अनुमति के बीच कठिन निर्णय लेने की स्थिति में सरकार का रुख करना प्राकृतिक है।

ऑनलाइन कंटेंट के विनियमन से जुड़े मुद्दे:

- इनेबलर की भूमिका (Role of Enabler): बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियाँ छोटे प्रकाशकों या स्व-वित्तपोषित उद्यमियों को अपने उत्पादों/सेवाओं के मूल्यवर्द्धन का अवसर प्रदान करती हैं।

- ‘विवशतावश दिया गया भाषण-मुक्त भाषण नहीं’: कभी-कभी इन प्लेटफॉर्मों को नियंत्रित करने के प्रयासों से अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता के लिये स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का उल्लंघन होता है।
  - भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिये जारी हालिया दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि किसी सोशल मीडिया पर प्रकाशित कोई भी पोस्ट या सामग्री “भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा या संप्रभुता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, या सार्वजनिक शांति, या किसी संज्ञेय अपराध करने के लिये उकसाना या किसी अपराध की जाँच को रोकता है या किसी भी विदेशी राज्य का अपमान करता है,” तो उसे सोशल मीडिया पेज से हटाया जा सकता है।
  - हालाँकि सरकार द्वारा जारी इस दिशा-निर्देश में शामिल उपर्युक्त शब्दों का अर्थ बहुत व्यापक है और यह भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों में सरकार के हस्तक्षेप को बढ़ावा दे सकता है।
- वंचितों की आवाज़: यहाँ यह बताना महत्त्वपूर्ण है कि सोशल मीडिया की वजह से ही #ब्लैकलाइव्समैटर (#BlackLivesMatter), #लिविंगव्हाइलब्लैक (#LivingWhileBlack) और #मीटू (#MeToo) जैसे मुद्दे सार्वजनिक चर्चा में शामिल हुए।
  - ऐसे में बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों को विनियमित करने के प्रयास समाज के कमज़ोर वर्गों की आवाज़ को दबा सकते हैं।
- स्व-नियमन: बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के समर्थकों का तर्क है कि ये कंपनियाँ अपने सिस्टम पर आक्रामक सामग्री की अनुमति देने के जोखिमों के बारे में सजग हो रही हैं और ऐसे में अंततः ये कंपनियाँ स्वयं ही ऐसी सामग्रियों को हटाने में अपना हित देखेंगी।

आगे की राह:

- व्यक्तिगत डेटा विनियमन को प्राथमिकता देना: वर्तमान में जब डेटा एक नया मानक बनकर उभरा है, ऐसे में तकनीकी कंपनियों द्वारा बाज़ार पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिये उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने की प्रक्रिया का विनियमन बहुत ही आवश्यक है।
- गोपनीयता का अधिकार सुनिश्चित करना: विश्व भर में सरकारों द्वारा उपभोक्ताओं की गोपनीयता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिये कड़े कानून लागू किये गए हैं, जिसके तहत तकनीकी कंपनियों को कुछ बुनियादी और आवश्यक डेटा सुरक्षा तथा गोपनीयता उपायों का पालन करना अनिवार्य है।
  - इस संदर्भ में समर्पित डेटा सुरक्षा कानून [पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (PDP) बिल] के कार्यान्वयन में तेज़ी लाई जानी चाहिये।
- सूचना का मौद्रीकरण: बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों को समाचार एजेंसियों और अन्य संस्थाओं की सामग्री को अपने प्लेटफॉर्म (जैसे-फेसबुक के न्यूज़फीड और गूगल सर्च) पर उपयोग करने के बदले सभी हितधारकों को उचित भुगतान करने के संदर्भ में बातचीत करनी चाहिये।

निष्कर्ष:

वर्तमान में विश्व के देश वैश्विक कूटनीति के एक नए दौर में प्रवेश कर चुके हैं। अब सिर्फ देश ही अन्य देशों से प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर रहे हैं बल्कि विश्व की कई विशाल तकनीकी कंपनियाँ भी वैश्विक भू-राजनीतिक को प्रभावित करती हैं। ऐसे में वर्तमान में देशों और बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच सौदेबाज़ी की शक्ति से जुड़े बदलते समीकरणों को पहचानने की आवश्यकता है।

साइबर सुरक्षा सिद्धांत

संदर्भ:

वर्तमान में विश्व भर में साइबर कमानों (Cyber Commands)की स्थापना और उन्हें बढ़ावा देने के समर्थन के साथ सैन्य सिद्धांतों में परिवर्तन बड़े रणनीतिक बदलाव को दर्शाता है, जिसमें साइबर क्षेत्र में अवरोधक का निर्माण शामिल है।

इसके अतिरिक्त साइबर सुरक्षा के प्रभाव का दायरा सैन्य क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह देश के शासन, अर्थव्यवस्था और कल्याण सभी पहलुओं को शामिल करता है।

इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या के मामले में विश्व में अमेरिका और चीन के बाद भारत का तीसरा स्थान है, परंतु अभी भी भारत का साइबर सुरक्षा तंत्र अपने शुरुआती स्तर पर ही है।

इसे न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट के आधार पर समझा जा सकता है, जिसमें इस संभावना को रेखांकित किया गया है कि वर्ष 2020 में मुंबई में पावर आउटेज की घटना एक चीनी राज्य-प्रायोजित समूह के हमले का परिणाम हो सकती है।

ऐसे में सैन्य, शासन और आर्थिक क्षेत्र में साइबर क्षमता की महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए भारत में शीघ्र ही एक व्यापक साइबर सुरक्षा सिद्धांत को अपनाए जाने की आवश्यकता है।

नोट:

भारत पूर्व में भी कई बार साइबर हमलों का शिकार हो चुका है।

- वर्ष 2009 में एक संदिग्ध साइबर जासूसी नेटवर्क जिसे 'घोस्टनेट' नाम दिया गया था, को अन्य लोगों/संस्थानों के अलावा भारत में निर्वासित तिब्बत की सरकार और कई भारतीय दूतावासों को निशाना बनाते हुए पाया गया था।
- इस खोज से प्राप्त जानकारियों पर आगे जाँच करते हु, शोधकर्त्ताओं ने पाया कि जिसे उन्होंने एक शैडो नेटवर्क माना था, वह एक विशाल साइबर जासूसी ऑपरेशन था जिसके तहत बड़े पैमाने पर भारत में स्थित रणनीतिक महत्त्व की कई संस्थाओं को निशाना बनाया गया।
- इस घटना के बाद कई हमले हुए जिन्होंने भारत को निशाना बनाया, जिसमें स्टक्सनेट (Stuxnet) भी शामिल था, इसने ईरान में परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया था।
- सकफ्लाई (Suckfly) नामक एक साइबर हमले में न केवल सरकारी बल्कि निजी संस्थाओं को भी निशाना बनाया गया, इसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को तकनीकी सहायता प्रदान करने वाली एक कंपनी भी शामिल थी।
- डीट्रैक (Dtrack) नामक एक साइबर हमले में वर्ष 2019 में पहले भारतीय बैंकों को और बाद में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (तमिलनाडु) को निशाना बनाया गया।

भारत के साइबर सुरक्षा ढाँचे से जुड़ी चुनौतियाँ:

- एकीकृत प्रतिक्रिया का अभाव: राष्ट्रीय स्तर पर साइबर सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने और उन्हें कम करने के लिये एक एकीकृत प्रतिक्रिया को लागू करने में प्रभावी समन्वय, उत्तरदायित्वों का अधिव्यापन और स्पष्ट संस्थागत सीमाओं व जवाबदेही की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- आवश्यक क्षमता का अभाव: भारत में हार्डवेयर के साथ-साथ सॉफ्टवेयर साइबर सुरक्षा उपकरणों व तकनीकों के मामले में स्वदेशी क्षमता (आत्मनिर्भरता) का अभाव है।
  - यह भारत के साइबर क्षेत्र को शत्रु राष्ट्रों और अन्य अराजक समूहों द्वारा प्रेरित साइबर हमलों के लिये असुरक्षित बनाता है।
  - भारत में यूरोपीय संघ के 'सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन' (GDPR) या अमेरिका के 'क्लेरीफाइंग लॉफुल ओवरसीज़ यूज़ ऑफ डेटा (CLOUD) एक्ट' की तरह एक सक्रिय साइबर सुरक्षा ढाँचा नहीं है।
- एक प्रभावी साइबर डिटरेंस रणनीति का अभाव: इसके अतिरिक्त एक विश्वसनीय साइबर रणनीति के अभाव का अर्थ है कि राज्य प्रायोजित और गैर-राजकीय अराजक तत्त्वों को कई उद्देश्यों के लिये कम पैमाने पर साइबर हमलों का संचालन (जैसे-जासूसी, साइबर अपराध और महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचनाओं के संचालन को बाधित करना आदि) करने के लिये प्रोत्साहन मिलता रहता है।

साइबर सुरक्षा संस्थान:

- पिछले दो दशकों में भारत ने साइबर सुरक्षा की अनुकूलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए संस्थागत मशीनरी तैयार करने का एक महत्त्वपूर्ण प्रयास किया है, साथ ही इस पहल का विस्तार कई सरकारी संस्थाओं तक है।
- प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत ही कई साइबर पोर्टफोलियो शामिल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भी इनमें से एक है, इसकी अध्यक्षता आमतौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) द्वारा की जाती है, और यह भारत की साइबर नीति पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- NSA द्वारा राष्ट्रीय सूचना बोर्ड की अध्यक्षता भी की जाती है, जो साइबर सुरक्षा नीति पर अंतर-मंत्रालयी समन्वय के लिये सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है।
- राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के अंतर्गत जनवरी 2014 में स्थापित राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र को महत्त्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढाँचे के संरक्षण का कार्य सौंपा गया है।
- वर्ष 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक कार्यालय की स्थापना की गई, जो प्रधानमंत्री को रणनीतिक साइबर सुरक्षा मुद्दों पर सलाह देता है।

नोट :

- केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) के अंतर्गत स्थापित कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (CERT-In) गैर-प्राथमिकता वाले बुनियादी ढाँचे से जुड़े विभिन्न साइबर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिये कार्य करती है।
- केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा 'डिफेंस साइबर एजेंसी' (Defence Cyber Agency- DCA) की स्थापना के लिये डिफेंस इंफॉर्मेशन एश्योरेंस एंड रिसर्च एजेंसी को अपग्रेड किया गया है। DCA संयुक्त सशस्त्र अभियानों का समन्वय और नियंत्रण करने के लिये भारतीय सशस्त्र बलों की एक त्रि-सेवा कमान है, साथ ही यह भारत की साइबर नीति के निर्धारण में भी सहायक होगी।
- इसके अतिरिक्त केंद्रीय गृह मंत्रालय की निगरानी में कई समन्वय केंद्रों का संचालन किया जाता है जो साइबर अपराध, जासूसी और आतंकवाद के खात्मे के लिये कानून प्रवर्तन प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जबकि केंद्रीय विदेश मंत्रालय भारत की साइबर कूटनीति को दोनों रूपों में (द्विपक्षीय रूप से अन्य देशों के साथ, और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर) समन्वित करता है।

आगे की राह:

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 ने स्पष्ट किया कि भारत को एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता है, हालाँकि इसे अभी तक जारी नहीं किया गया है। अत: साइबरस्पेस के महत्त्व को देखते हुए नई रणनीति में सभी प्रमुख मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिये, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

- साइबर संघर्षों पर सिद्धांत: वर्तमान में स्पष्ट रूप से एक ऐसे साइबर सुरक्षा सिद्धांत को निर्धारित करने की आवश्यकता है जो साइबर चुनौतियों से निपटने हेतु आक्रामक साइबर हमलों के संचालन या साइबर हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की नीति के माध्यम से इससे जुड़े सभी पहलुओं को कवर करता है।
- वैश्विक बेंचमार्क स्थापित करना: भारत को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति को साइबरस्पेस में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के लागू होने की प्रक्रिया पर अपने मत को स्पष्ट करने के एक महत्त्वपूर्ण अवसर के रूप में देखना चाहिये।
  - यह भारत के सामरिक हितों और क्षमताओं को बढ़ाने के लिये वैश्विक प्रशासन की बहस को भी दिशा देने में सहायता कर सकता है।
- बहु-हितधारक दृष्टिकोण: राज्य समर्थित अराजक तत्त्वों और उनके सहयोगियों तथा ऑनलाइन अपराधियों से होने वाले खतरों का पता लगाने एवं उनका मुकाबला करने के लिये सरकार व निजी क्षेत्र के साथ सरकार के भीतर एवं राष्ट्रीय व राज्य स्तरों पर बेहतर समन्वय की आवश्यकता है।
- सीमाओं का निर्धारण: राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति में न केवल गैर-बाध्यकारी मानदंडों पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहिये बल्कि साइबर हमलों के संभावित लक्ष्यों- जैसे स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, विद्युत ग्रिड, जल आपूर्ति और वित्तीय प्रणालियों के संबंध में कानूनी दायित्व को निर्धारित किया जाना चाहिये।
- स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना: साइबर सुरक्षा और डिजिटल संचार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये सॉफ्टवेयर के विकास हेतु अवसरोंको बढ़ाने की आवश्यकता है।
  - भारत सरकार अपने मेक इन इंडिया कार्यक्रम में साइबरसिटी अवसंरचना को शामिल करने पर विचार कर सकती है।
  - साथ ही वर्तमान में स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये एक अद्वितीय भारतीय पैटर्न पर उपयुक्त हार्डवेयर विकसित किये जाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

साइबर सुरक्षा और साइबर युद्ध पर एक स्पष्ट सार्वजनिक नीति नागरिकों के आत्मविश्वास को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, साथ ही यह सहयोगी देशों के प्रति विश्वास को मज़बूत करने और संभावित विरोधियों को एक कड़ा तथा स्पष्ट संदेश देने में सहायक होगी जो एक अधिक स्थिर और सुरक्षित साइबर पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिये मज़बूत आधार प्रदान करेगा।

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

जलवायु परिवर्तन और हिमनदों का क्षरण

संदर्भ:

विकास के मामले में मनुष्य ने एक लंबी यात्रा तय कर ली है, परंतु दुर्भाग्यवश हमने इस यात्रा के दौरान प्रकृति से जुड़ी चिंताओं को पीछे छोड़ दिया है।

वर्तमान में नीति निर्माताओं और जनता द्वारा प्राकृतिक आपदाओं को "ईश्वरीय कृत्य" या "एक्ट ऑफ गॉड" की संज्ञा देना बहुत ही सामान्य बात हो गई है। परंतु वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई बाढ़ और हाल में चमोली में फ्लैश फ्लड जैसी घटनाओं से पता चलता है कि ये आपदाएँ वास्तव में ईश्वरीय कृत्य नहीं बल्कि प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानवीय हस्तक्षेपों का परिणाम थीं।

प्रशासन और जनता द्वारा अपनाई जाने वाली जलवायु कार्रवाइयाँ तब तक कमज़ोर पड़ती रहेंगी जब तक ऐसी आपदाओं के लिये ईश्वर की बजाय जलवायु परिवर्तन को मुख्य कारक के रूप में नहीं देखा जाता।

जलवायु परिवर्तन:

- हिमालयी क्षेत्र में बाढ़: हिमालय क्षेत्र में लगभग 15,000 ग्लेशियर हैं, जो प्रति दशक 100 से 200 फीट की दर से पिघल रहे हैं।
    - हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने के कारण उत्तराखंड के चमोली ज़िले में आई बाढ़ और भूस्खलन को ग्लोबल वार्मिंग से जोड़कर देखा जा रहा है।
    - वर्ष 2013 में केदारनाथ में मानसून के महीनों के दौरान ग्लेशियल फ्लड (Glacial Flood) के कारण 6,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई।
- अन्य घटनाएँ: वर्ष 2003 में तापमान में अत्यधिक वृद्धि और लू के कारण यूरोप में 70,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई।
    - वर्ष 2015-19 वैश्विक स्तर पर अब तक रिकॉर्ड किये गए सबसे गर्म वर्ष रहे हैं।
    - वर्ष 2019 में अमेज़न के वनों में लगी आग और वर्ष 2019-20 में ऑस्ट्रेलिया में वनाग्नि की घटना जलवायु परिवर्तन के सबसे खतरनाक प्रभावों के प्रमुख उदाहरणों में शामिल हैं।
- वैश्विक उत्सर्जन: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा जारी 'उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट (Emission Gap Report) 2020' दर्शाती है कि वर्ष 2020 ने मौसम संबंधी चरम घटनाओं की वृद्धि के संदर्भ में नए रिकॉर्ड स्थापित किये हैं, जिसमें वनाग्नि और तूफान, दोनों ध्रुवों पर ग्लेशियरों तथा बर्फ का पिघलना शामिल है।
    - रिपोर्ट के अनुसार, COVID-19 महामारी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) उत्सर्जन में थोड़ी गिरावट के बावजूद विश्व अभी भी इस सदी में 3°C से अधिक तापमान वृद्धि की ओर बढ़ रहा है, जो वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के लक्ष्यों से अधिक है।

टेक्सास का उदाहरण:

- हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका का टेक्सास राज्य कड़ाके की ठंड और तेज़ वायुवीय तूफान की चपेट में आ गया है।
    - इस विंटर स्टॉर्म के कारण 21 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 4.4 मिलियन लोगों को विद्युत आपूर्ति नहीं की जा सकी।
- इस दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के एक बड़े भाग में कड़ाके की ठंड देखने को मिली है, इसने COVID-19 टीकाकरण केंद्रों को भी प्रभावित किया है जिससे वैक्सीन की आपूर्ति बाधित हुई है।
- दहाई के आँकड़ों तक पहुँच चुके इस नकारात्मक तापमान (तापमान -14 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया है) को आर्कटिक-प्रायद्वीप के तापमान में हो रही वृद्धि से जोड़कर देखा जा रहा है।
    - आमतौर पर आर्कटिक के चारों ओर उपस्थित हवाएँ, जिन्हें ध्रुवीय भंवर/पोलर वोर्टेक्स (Polar Vortex) के नाम से जाना जाता है, इस प्रकार की ठंड को सुदूर उत्तर तक ही सीमित रखती हैं।

नोट :

- ◆ परंतु ग्लोबल वार्मिंग ने इन हवाओं के सुरक्षात्मक घेरे में अंतराल पैदा कर दिया है, जो ठंडी हवाओं को दक्षिण की ओर बहने में सक्षम बनाता है और ऐसी घटनाओं में तेज़ी देखी जा रही है।

भारत और जलवायु परिवर्तन:

- सबसे बड़े उत्सर्जकों में से एक: गौरतलब है कि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है, अत: इसके लिये अत्यधिक प्रदूषणकारी कोयला और पेट्रोलियम जैसे इंधनों को स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से स्थानांतरित करने हेतु एक निर्णायक बदलाव लाने की आवश्यकता है।
  - ◆ चीन ने वर्ष 2060 तक कार्बन तटस्थता बनने की घोषणा की है, जबकि जापान और दक्षिण कोरिया ने वर्ष 2050 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, परंतु भारत अभी तक इस संदर्भ में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाया है।
- वैश्विक रैंकिंग और अनुमान: एचएसबीसी (वर्ष 2018) द्वारा जलवायु सुभेद्यता के मामले में भारत को 67 देशों में शीर्ष पर रखा गया है।
  - ◆ जर्मनवाच (वर्ष 2020) द्वारा जलवायु जोखिम के मामले में भारत को 181 देशों में पाँचवें स्थान पर रखा गया है।
  - ◆ विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन दक्षिण एशिया में 800 मिलियन लोगों के लिये रहने की स्थिति को तेज़ी से प्रभावित कर सकता है।
  - ◆ उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट (Emission Gap Report) 2020' के अनुसार चीन, अमेरिका, ईयू समूह के देश, यूके और भारत ने पिछले एक दशक में हुए कुल जीएचजी उत्सर्जन में संयुक्त रूप से 55% का योगदान दिया है।

चुनौतियाँ और संबंधित मुद्दे:

- एक कठोर नीति का अभाव: एक बड़ी चिंता का विषय यह है कि वर्तमान में राज्य और केंद्र सरकारें जलविद्युत तथा सड़क परियोजनाओं के लिये जलवायु सुरक्षा उपायों एवं इससे जुड़े नियमों को सख्त करने की बजाय इन्हें और आसान बना रही हैं।
  - ◆ कई अध्ययनों में हिमालय क्षेत्र में तेज़ी से पिघल रहे हिमनदों के जोखिम को रेखांकित किया गया है जो इसके जलग्रहण क्षेत्र में रह रही आबादी के लिये खतरों को बढ़ता है परंतु इस दिशा में किसी भी मज़बूत और तीव्र नीतिगत प्रतिक्रिया का अभाव दिखाई देता है।
- उचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अभाव: हाल ही में उत्तराखंड में आई बाढ़ के मामले में सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के बारे में लोगों के लिये किसी जागरूकता या प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था नहीं की गई थी।
- सरकार की लापरवाही: वर्ष 2012 में सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समूह ने ऋषि गंगा और अलकनंदा-भागीरथी बेसिन में बाँधों के निर्माण का विरोध किया गया था, परंतु सरकार द्वारा इस सिफारिश की अनदेखी की गई।
  - ◆ इसी तरह केरल सरकार द्वारा पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन, उत्खनन और बाँध निर्माण के विनियमन के मामलों की अनदेखी वर्ष 2018 और वर्ष 2019 में बड़े पैमाने पर बाढ़ तथा भूस्खलन का कारण बनी।
- अप्रभावी उपग्रह निगरानी: संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र (या किसी भी बड़े आपदा-प्रवण क्षेत्र) की भौतिक रूप से निगरानी करना संभव नहीं है। हालाँकि उपग्रह निगरानी संभव है और यह नुकसान को कम करने में सहायता कर सकती है।
  - ◆ व्यापक उपग्रह क्षमताओं के बावजूद भारत अभी भी अग्रिम चेतावनी के लिये ऐसी तकनीकों का प्रभावी रूप से उपयोग नहीं कर पाया है।

आगे की राह:

- बजट आवंटन: इन चुनौतियों से निपटने के लिये एक महत्त्वपूर्ण कदम यह होगा कि सरकार के बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और सड़क जैसे मुद्दों के साथ जलवायु शमन की नीतियों को भी प्रमुखता से शामिल किया जाए।
  - ◆ विशेष रूप से विकास लक्ष्यों में स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों की ओर स्थानांतरण की समयसीमा को शामिल किया जाना चाहिये। साथ ही जलवायु वित्त जुटाने के लिये एक प्रमुख अभियान शुरू करने की भी आवश्यकता है।
- जलवायु अनुकूलन: यहाँ तक कि यदि विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ जलवायु शमन को गति देती हैं, तो भी वातावरण में संचित कार्बन उत्सर्जन के कारण ऐसी तबाहियों की आवृत्ति में वृद्धि होगी। ऐसे में जलवायु अनुकूलन ही सर्वोत्तम विकल्प है:
  - ◆ आपदा प्रबंधन रणनीतियों को विकासात्मक डिज़ाइनिंग जैसी विकासात्मक योजनाओं के साथ समन्वित किया जाना चाहिये।
    - ■ जैसे कि भूकंप प्रवण क्षेत्रों में उपयुक्त भवन निर्माण मानदंड और दिशा-निर्देश जारी किये जा सकते हैं या भूकंप प्रतिरोधी भवनों का निर्माण किया जा सकता है।

- भारत की केंद्र और राज्य सरकारों को जोखिम में कमी के लिये वित्तीय आवंटन में वृद्धि करनी चाहिये, जैसे कि सूखे का सामना करने हेतु कृषि नवाचारों को प्रोत्साहन।
- अग्नि प्रवण क्षेत्रों के मामले में एक क्षेत्र को कई पॉकेट में विभाजित किया जा सकता है, ताकि आग के व्यापक स्तर पर फैलाव को रोका जा सके।

- विस्तृत अध्ययन: यह समझने के लिये विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिये कि हिमालय क्षेत्र की कौन-सी हिमनद झीलों को बाढ़ का खतरा है।
  - इस तरह के अनुसंधान को पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिये और क्षेत्र में विकास संबंधी परियोजनाओं पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के मार्गदर्शन में इनका उपयोग किया जाना चाहिये।
- प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करना: इस संदर्भ में एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की स्थापना करना आसान परंतु अत्यंत प्रभावी विकल्प होगा जो अनुप्रवाह की दिशा में रह रही आबादी को आसन्न आपदा के बारे में सचेत कर सकती है।
  - इसे स्थानीय समुदायों को शीघ्र ही सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाने की योजना के साथ जोड़ा जाना है।
  - बाढ़ की घटनाएँ अचानक नहीं होती हैं; पानी के स्तर में बदलाव, नदियों में डिस्चार्ज आदि जैसे पर्याप्त ऐसे संकेत हैं, जिनकी यदि पहले से निगरानी की जाए तो ये जन-धन की व्यापक क्षति को रोकने में सहायता कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

सतत् विकास समय पर लागू की गई जलवायु कार्रवाई पर निर्भर करता है और ऐसा होने के लिये नीति निर्धारण के दौरान कार्बन उत्सर्जन, वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, हिमनदों के पिघलने, अत्यधिक बाढ़ और तूफान के बीच के बिंदुओ को जोड़कर देखने की आवश्यकता है।

- उत्तराखंड और टेक्सास जैसी घटनाओं को लोगों की विचारधारा को बदलने और जनता द्वारा तत्काल कार्रवाई की मांग के लिये एक सबक के रूप में देखा जाना चाहिये।
- आपदाओं को रोका नहीं जा सकता है परंतु अच्छी तरह से की गई तैयारियों और मज़बूत जलवायु परिवर्तन शमन नीतियों के माध्यम से निश्चित रूप से इनसे होने वाले भारी नुकसान को कम किया जा सकता है।

The Vision

सामाजिक न्याय

भारत में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा

संदर्भ:

नेल्सन मंडेला ने अपने प्रसिद्ध उद्धरण "शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिये कर सकते हैं", के माध्यम से इस तथ्य को रेखांकित किया कि शिक्षा, 'अज्ञानता, गरीबी, सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार' के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने का साधन (या मुक्तिदाता) है।

इसी विचारधारा को मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR) में अनुच्छेद 26 में निहित/प्रतिस्थापित किया गया है, जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। हालाँकि UDHR के जारी होने के सात दशक बाद भी वैश्विक स्तर पर 58 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और 100 मिलियन से अधिक बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूली शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाते हैं।

विडंबना यह है कि भारत जो कभी "विश्व गुरु" का स्थान रखता था, वर्तमान में सबसे अधिक 'स्कूल से बाहर' या 'आउट ऑफ स्कूल' बच्चों वाले देशों की सूची में सबसे ऊपर है। हालाँकि भारत के केरल राज्य ने आशा की किरण दिखाई है, क्योंकि यह अब संपूर्ण प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के वाले देश के पहले राज्य के रूप में घोषित होने के लिये बिल्कुल तैयार है।

इस संदर्भ में देश के अन्य राज्य (विशेष रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और असम), जिनका प्रदर्शन देश में प्राथमिक शिक्षा स्तर के मामले में खराब रहा है, वे केरल शिक्षा मॉडल का अनुकरण कर सकते हैं।

शिक्षा का केरल मॉडल:

- केरल, जिसने बहुत पहले वर्ष 1991 में ही पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था, ने एक बार स्वयं को पुनः प्रमाणित करते हुए दिखा दिया है कि प्राथमिक स्तर पर भी पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव है।
- हालाँकि इस सफलता की जड़ों को वर्ष 1817 के रानी गौरी पार्वती बाई के ऐतिहासिक शाही निर्देश से जोड़कर देखा जा सकता है, जिसके तहत शिक्षा को राज्य की "ज़िम्मेदारी" के रूप में घोषित किया गया था।
- इसके साथ ही निर्देश में इस बात पर भी ज़ोर दिया गया कि शिक्षा के लिये निर्दिष्ट खर्च तय करने के लिये "राजनीतिक अर्थव्यवस्था" की अपेक्षा "राजनीतिक इच्छाशक्ति" अधिक महत्त्वपूर्ण है।
- क्रमिक रूप से चुनी गई सरकारों के प्रयासों के परिणामस्वरूप केरल देश में उच्चतम साक्षरता दर और सौ प्रतिशत प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा नामांकन के लिये जाना जाता है।
- प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिये केरल सरकार ने अक्तूबर 2014 में 'अथुल्यम' (Athulyam) नामक एक विशेष योजना की शुरुआत की।
- इसके तहत व्यापक सर्वेक्षणों के माध्यम से पंचायतों में रहने वाले ऐसे लोगों की पहचान की गई जिन्होंने अब तक अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं की थी या जिन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही कुछकारणों से स्कूल छोड़ दिया था। इसके अगले चरण में उन्हें फिर से अध्ययन करने और परीक्षा में बैठने के लिये राजी करने के प्रयास किया गया।
- इसके पश्चात् उन्हें पाँच माह का प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिससे वे चौथी कक्षा के समकक्ष परीक्षा में शामिल हो सकें।
- प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने केरल की आर्थिक और सामाजिक सफलता का श्रेय इस राज्य में स्कूली शिक्षा के विस्तार की निरंतरता को दिया है, जो सार्वजनिक नीतियों और कार्रवाई पर आधारित रही है।

शिक्षा के सार्वभौमिकरण में चुनौतियाँ:

भारत का संविधान 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिये निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये भारत सरकार द्वारा 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' लागू किया गया। हालाँकि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य अभी भी हमारी पहुँच से बहुत दूर है। इसके लिये उत्तरदायी कारकों में से कुछ निम्नलिखित हैं:

- कम सार्वजनिक व्यय: भारत 'इंचियोन घोषणा' (Incheon Declaration) का एक हस्ताक्षरकर्त्ता देश है और इस घोषणा में यह उम्मीद की जाती है कि सदस्य देशों द्वारा 'सतत् विकास लक्ष्य (SDG)-4' को प्राप्त करने के लिये शिक्षा पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 4-6% खर्च किया जाएगा।
- निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी: कई रिपोर्ट और उपलब्ध आँकड़े शिक्षा क्षेत्र में बढ़ते निजीकरण को रेखांकित करते हैं। इसके साथ ही एक बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की भी है जो प्राथमिक स्तर पर ही शिक्षण प्रणाली से बाहर हो रहे हैं तथा प्रणालीगत अक्षमताओं के कारण शिक्षा की लागत बढ़ रही है और कई छात्र डेटा व लैपटॉप जैसे संसाधनों के अभाव में आत्महत्या करने को विवश हो जाते हैं।
- गुणवत्ता का मुद्दा: अनिवार्य शिक्षा के सार्वभौमिकरण के वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में विफलता का एक कारण यह भी रहा है कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को नहीं बनाए रखा जा सका है।
  - पिछले कई वर्षों से 'असर' (ASAR) सर्वेक्षण लगातार देश के विभिन्न राज्यों में प्राथमिक शिक्षा में सीखने के परिणामों की खराब स्थिति को दर्शाता रहा है।
- अन्य कारक: माता-पिता की निरक्षरता और अनदेखी, स्कूल तथा स्थानीय समुदाय के बीच सहयोग की कमी एवं शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार जैसे कारक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्रभावित करते हैं।

आगे की राह:

- सरकार की सक्रिय भूमिका: शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिये राज्य को स्कूली स्वास्थ्य, मध्याह्न भोजन, पाठ्य पुस्तकों की मुफ्त आपूर्ति, लेखन सामग्री, स्कूल की वर्दी आदि जैसी सहायक सेवाएँ प्रदान करने हेतु संसाधन जुटाने चाहिये।
  - केरल मॉडल से पता चलता है कि पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि से संबंधित व्यापक हस्तक्षेप मानव विकास में स्थायी वृद्धि/बढ़त प्राप्त करने में सहायता कर सकता है।
- सामाजिक लेखापरीक्षण: प्रत्येक गाँव या शहरी क्षेत्र में एक गाँव या मोहल्ला स्कूल समिति को अनिवार्य बनाया जाना चाहिये।
  - ऐसी समिति भवनों, खेल के मैदानों और स्कूल के बगीचों के निर्माण और रखरखाव, सहायक सेवाओं के प्रबंधन, उपकरणों की खरीद, आदि की देखरेख करेगी।
  - अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिये समिति के पास राज्य सरकार से दान और अनुदान सहायता के माध्यम से पर्याप्त धनराशि होगी।
  - उदाहरण के रूप में केरल की क्रमिक सरकारों ने शिक्षा के लिये पूंजी परिव्यय में वृद्धि के साथ-साथ स्थानीय निकायों के माध्यम से शिक्षा के विकेंद्रीकृत वित्तपोषण को बढ़ावा दिया है।
- सिविल सोसाइटी की भागीदारी को प्रोत्साहन: केरल की सफलता सरकार के विभिन्न विभागों, अधिकारियों, स्वयंसेवकों, गैर-सरकारी संस्थाओं और मैत्रीपूर्ण संगठनों के सामूहिक प्रयासों के कारण ही संभव हो सकी है।

निष्कर्ष:

व्यापक साक्षरता के लिये सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह आर्थिक विकास, सामाजिक संरचना के आधुनिकीकरण और लोकतांत्रिक संस्थानों के प्रभावी कामकाज हेतु एक बुनियादी आवश्यकता है।

साथ ही यह सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करने के लिये आवश्यक अनिवार्य पहला कदम होगा। ऐसे में समग्र रूप से भारतीय समाज द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को प्राप्त करने के लिये आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिये।

भारतीय महिलाएँ और श्रम-बल

संदर्भ

बीते दो दशकों में वैश्विक स्तर पर महिलाओं की शिक्षा में महत्त्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है, साथ ही प्रजनन दर में भी गिरावट देखने को मिल रही है, इन दोनों ही कारकों के परिणामस्वरूप दुनिया भर में वैतनिक श्रम-बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में अतुलनीय बढ़त हासिल हुई है। हालाँकि भारत के मामले में स्थिति सामान्य और स्पष्ट नहीं है।

आवधिक श्रम-बल सर्वेक्षण, 2018-19 की मानें तो 15 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के बीच महिला श्रम-बल भागीदारी दर (LFPR) ग्रामीण क्षेत्रों में तकरीबन 26.4 प्रतिशत और भारत के शहरी क्षेत्रों में तकरीबन 20.4 प्रतिशत से कम है।

बीते तमाम वर्षों में लैंगिक समानता की दिशा में सरकार द्वारा किये गए प्रयासों और प्रगति को प्रभावित करते हुए कोरोना महामारी ने महिलाओं और लड़कियों के समक्ष मौजूद असमानता की गहरी खाई को और अधिक चौड़ा कर दिया है।

आपूर्ति और मांग दोनों की कारकों ने महिलाओं के बीच रोज़गार के निम्न स्तर में योगदान दिया है, जिसमें घरेलू ज़िम्मेदारियों का बोझ और महिलाओं द्वारा निभाई गई प्रजनन भूमिकाओं सहित पर्याप्त एवं उचित नौकरी के अवसरों की कमी आदि शामिल हैं।

भारत में महिला रोज़गार में गिरावट के कारण

- सामाजिक दबाव: प्राय: कामकाजी महिलाओं को संपूर्ण समुदाय द्वारा कलंकित किये जाने का डर बना रहता है, जो कि उनके काम को निम्न दर्जे के रूप में चिह्नित कर सकता है। अक्सर महिलाओं का काम करना हमारे पुरुष-प्रधान समाज में उनके पति की असमर्थता के रूप में देखा जाता है।
  - इसके अलावा भारतीय समाज में ऐसी रुढ़िवादी धारणा भी काफी प्रबल है, जो यह मानती है कि एक महिला का स्थान केवल घर और रसोई तक ही सीमित है और यदि एक महिला सामाजिक रूप से स्वीकृत दायरे से बाहर कदम रखती है, तो इससे हमारे सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्यों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।
- कार्य का अनौपचारिकरण: पिछले तीन दशकों में देश में कृषि-रोज़गार में भारी गिरावट देखने को मिली है, जबकि इसकी तुलना में ग्रामीण गैर-कृषि रोज़गार एवं आजीविका के अवसरों में उस स्तर तक वृद्धि नहीं हो सकी है।
  - ऐसे में अक्सर लोग कृषि से हटकर अनौपचारिक एवं आकस्मिक रोज़गार की ओर पलायन कर रहे हैं, जहाँ काम काफी छिटपुट होने के साथ ही प्राय: 30 दिनों से भी कम का होता है।
- महिलाओं के कार्य को स्वीकृति ना मिलना: वस्तुत: यह देखा गया है कि आम लोगों के बीच महिलाओं द्वारा किये जाने वाले कार्य को एक औपचारिक कार्य के रूप में स्वीकृति नहीं मिलती है, जो कि महिला रोज़गार की दर में हो रही गिरावट की एक प्रमुख समस्या है।
  - आँकड़े इस ओर इशारा करते हैं कि महिला श्रम-बल भागीदारी दर (LFPR) में हो रही गिरावट के कारणों में महिलाओं का वैतनिक कार्य से अवैतनिक कार्य की ओर हस्तांतरण भी शामिल है, नतीजतन महिलाओं को 'श्रमिक' के रूप में नहीं गिना जाता है और वे श्रम-बल से बाहर हो जाती हैं, भले ही वे पारिवारिक उद्यमों में अवैतनिक कार्य (जैसे- कृषि, पशुपालन, किराने की दुकान और हस्तनिर्मित उत्पाद आदि) में संलग्न हों।
- अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा: कई अवसरों पर यह देखा जाता है कि जो महिलाएँ श्रम-बल में शामिल भी हैं, वे अपने रोज़गार की प्रकृति के कारण देश के अधिकांश श्रम कानूनों के दायरे से बाहर रहती हैं, इसमें हाल ही में पारित सामाजिक सुरक्षा संहिता भी शामिल है।
  - इसके कारण स्वत: ही स्व-रोज़गार और अनौपचारिक रोज़गार में संलग्न महिलाएँ इन श्रम सुरक्षा कानूनों से बाहर हो जाती हैं, जो कि देश में कुल महिला कर्मचारियों की संख्या का 90 प्रतिशत से भी अधिक है।
  - इसके अलावा कृषि में अधिकांश भूमि पुरुषों के नाम पर पंजीकृत है, जिससे महिलाओं को किसानों के रूप में भी मान्यता नहीं मिलती है, जबकि देश में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश महिलाएँ कृषि कार्य में शामिल हैं।
  - महिलाओं के नाम पर भूमि पंजीकृत न होने के कारण प्राय: महिलाओं को सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं जैसे- सस्ता ऋण और नकद हस्तांतरण आदि का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है।

नोट :

आगे की राह

- महिलाओं को नेतृत्त्वकारी भूमिका प्रदान करना: लैंगिक भागीदारी में कमी सामाजिक-आर्थिक मुद्दों का ही परिणाम है और व्यवहार में परिवर्तन लाकर इस चुनौती से आसानी से निपटा जा सकता है। ऐसा तभी संभव हो सकेगा जब महिलाओं को अधिक-से-अधिक नेतृत्त्वकारी भूमिका प्रदान की जाएगी।
  - इस प्रकार कंपनी बोर्डों से संसद तक, उच्च शिक्षा से लेकर सार्वजनिक संस्थानों तक सभी स्तरों और क्षेत्रों में विशेष प्रावधानों एवं कोटा के माध्यम से समान प्रतिनिधित्त्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
- अप्रत्यक्ष एवं गैर-मान्यता प्राप्त कार्य की पहचान: देखभाल के मामले में अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण रूप से निवेश किये जाने की आवश्यकता है, घरेलू काम करने वाली महिलाओं को मान्यता देने के लिये सकल घरेलू उत्पाद को पुन: परिभाषित किये जाने की आवश्यकता है।
- लैंगिक समानता को प्रोत्साहन: अर्थव्यवस्था में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी और समावेश सुनिश्चित करने के लिये उनके समक्ष मौजूद बाधाओं को दूर किये जाने की आवश्यकता है, जिसमें श्रम बाज़ार तक पहुँच और संपत्ति में अधिकार सुनिश्चित करना और लक्षित ऋण तथा निवेश आदि शामिल हैं।
  - सरकार द्वारा शुरू की गई महिला उन्मुख पहलें जैसे- 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' और 'किरण' (शिक्षण द्वारा अनुसंधान विकास में ज्ञान की भागीदारी) योजना आदि सही दिशा में उठाए गए कदम प्रतीत होते हैं।
- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम: भारत सरकार को महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा से संबंधित मुद्दे को संबोधित करने के लिये एक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना विकसित करनी चाहिये और इस संकट को समाप्त करने के लिये आवश्यक वित्त, नीतियों और राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ उस कार्ययोजना का क्रियान्वयन करना चाहिये।

निष्कर्ष

इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है कि कोरोना वायरस महामारी ने पुरुषों से अधिक महिलाओं के रोज़गार को प्रभावित किया है। श्रम-बल में प्रवेश करने वाली महिलाओं के लिये समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु मज़बूत एवं सम्मिलित प्रयास किये जाने की आवश्यकता है, जिसमें महिलाओं के लिये परिवहन, सुरक्षा और छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ बच्चों की देखभाल और मातृत्व लाभ जैसे- सामाजिक सुरक्षा प्रावधान किया जाना शामिल है।